PRS

राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2023

अप्रैल 2024

मानस गुब्बी, निरंजना एस मेनोन और सिमरनज्योत कौर

भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य में एक विधायिका का प्रावधान करता है। भारत के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) दिल्ली और पुद्दूचेरी में विधानसभाएं हैं। छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में दो सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के साथ विधायिकाएं हैं।

विधानमंडलों की तीन प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं: बिल पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना, सरकारी वित्त की जांच करना और उसे मंजूरी देना, और सरकार को जवाबदेह ठहराना। 2023 में राज्य विधानसभाओं ने 500 से अधिक बिल पारित किए और अपने राज्य के बजट की समीक्षा की जिसका संचयी मूल्य लगभग 53 लाख करोड़ रुपए था। इस रिपोर्ट में 2023 में 30 राज्य विधानसभाओं के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

यह विश्लेषण राज्य विधानसभाओं, राज्य के गैजेट्स से प्राप्त आंकड़ों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित अनुरोधों के उत्तरों पर आधारित है। स्रोतों और पद्धतियों पर एक विस्तृत टिप्पणी पेज 25 पर उपलब्ध है।

संपूर्ण रिपोर्ट के रेखाचित्रों में राज्य विधानसभाओं के लिए निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम
आंध्र प्रदेश	AP	झारखंड	JH	पुद्दूचेरी	PY
अरुणाचल प्रदेश	AR	कर्नाटक	KA	पंजाब	PB
असम	AS	केरल	KL	राजस्थान	RJ
बिहार	BR	मध्य प्रदेश	MP	सिक्किम	SK
छतीसगढ़	CG	महाराष्ट्र	MH	तमिलनाडु	TN
दिल्ली	DL	मणिपुर	MN	तेलंगाना	TS
गोवा	GA	मेघालय	MG	त्रिपुरा	TR
गुजरात	GJ	मिजोरम	MZ	उत्तराखंड	UK
हरियाणा	HR	नागालैंड	NL	उत्तर प्रदेश	UP
हिमाचल प्रदेश	HP	ओड़िशा	OD	पश्चिम बंगाल	WB

विषय सूची

खंड	पेज नंबर
राज्य विधानमंडलों का कामकाज	1
विधि निर्माण पर एक नजर	8
विषय आधारित कानून	12
स्रोत और कार्य पद्धति	25
अनुलग्नक 1: 2023 में राज्य कानूनों की सूची	26
अनुलग्नक 2: 2023 में राज्यों द्वारा पारित, लेकिन स्वीकृत न हुए बिल्स की सूची	37
अनुलग्नक 3: 2023 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची	39

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

राज्य विधायिका का कामकाज

विधायिका की तीन प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं: बिल पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना, सरकारी वित्त की समीक्षा करना और उसे मंजूरी देना, और सरकार को जवाबदेह ठहराना। पिछले कई वर्षों के दौरान भारत के राज्य विधानमंडलों में बैठकें कम दिनों के लिए होती हैं और बिल एवं बजट पर्याप्त जांच के बिना पारित किए जाते हैं। कुछ ही राज्यों ने बिल और बजट के विस्तृत अध्ययन के लिए समितियों का गठन किया है, और जहां वे मौजूद हैं, वहां भी उनकी बैठकें अक्सर नहीं होती हैं। 2023 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें औसतन 22 दिन हुईं और प्रत्येक बैठक औसतन पांच घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने 500 से अधिक बिल पारित किए और 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अपने संबंधित बजट पारित किए।

2023 में राज्य विधानमंडलों की बैठक औसतन 22 दिन हुई

महाराष्ट्र में सबसे अधिक दिन (41) बैठक हुईं। उसके बाद पश्चिम बंगाल (40) और कर्नाटक (39) का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना सहित 13 राज्यों की बैठकें 20 दिनों से कम चलीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड की बैठक 10 दिनों से भी कम समय के लिए हुई। गोवा में 2022 में 13 दिन बैठक हुए थी, जोकि 2023 में दोगुनी होकर, 26 हो गई। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बैठकें भी 2022 की तुलना में 2023 में अधिक दिन हुईं। 2022 की तुलना में केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी अधिक दिन बैठक हुईं। 2021 में केरल में 61 दिन बैठक हुई थीं। 2022 में वहां 41 दिन और 2023 में सिर्फ 29 दिन बैठक हुईं।

रेखाचित्र 1: 2023 में राज्य विधानसभाओं की बैठक के दिनों की संख्या

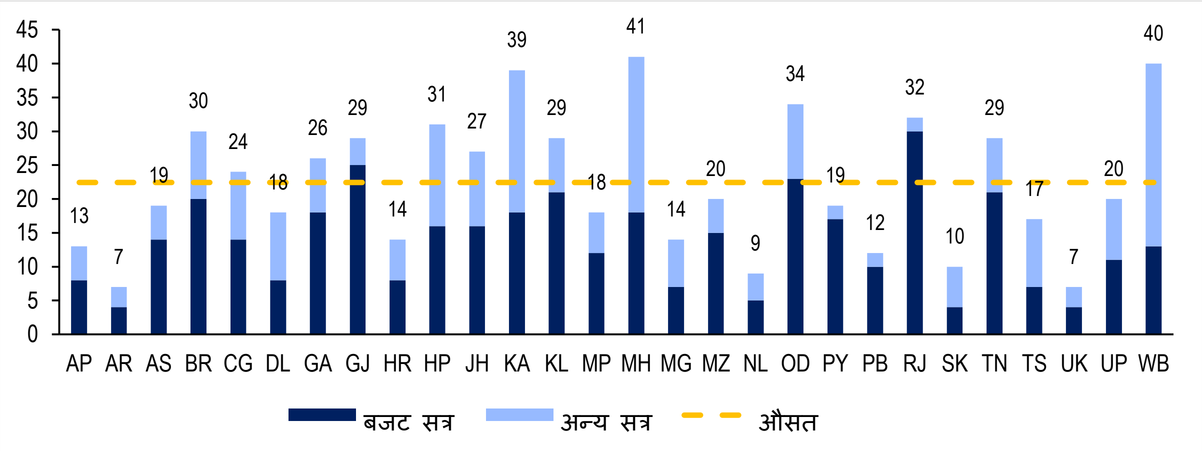

नोट: मणिपुर और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में दो सदनों वाली विधानसभाएं हैं- विधानसभा और विधान परिषद। 2023 में विधान परिषदों की औसतन 26 दिन बैठकें हुईं। 2022 में चार विधान परिषदों (बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर) की बैठक के दिनों की औसत संख्या 25 थी। विधान परिषद के सत्र आमतौर पर विधानसभा सत्र के साथ-साथ होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य (एमएलसी) जनसंख्या के विभिन्न वर्गों, जैसे शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय और विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। एमएलसी सरकार से सवाल भी पूछते हैं और कानून पर चर्चा भी करते हैं।

रेखाचित्र 2: 2023 में राज्य विधान परिषदों की बैठक के दिनों की संख्या

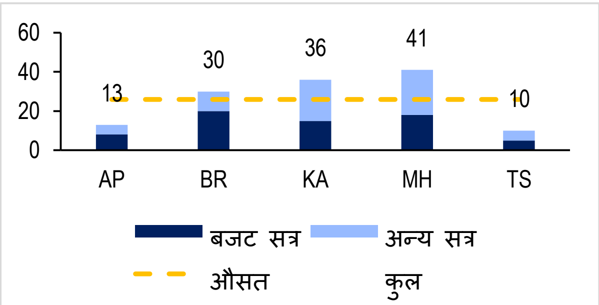

नोट: उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

62% बैठकें बजट सत्र के दौरान हुईं

संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल सत्र को हर छह महीने में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए। आमतौर पर जनवरी और मार्च के बीच संचालित होने वाला बजट सत्र सबसे लंबा होता है। 2023 में 62% बैठकें बजट सत्र के दौरान हुईं। 2022 और 2021 में यह आंकड़ा 61% था। गुजरात और पंजाब ने बजट सत्र में अपनी 80% से अधिक बैठकें कीं। तमिलनाडु ने बजट सत्र में अपनी 72% बैठकें कीं, जो 2022 में 91% के आंकड़े से कम है। इस सत्र के दौरान विधायी कामकाज के साथ-साथ, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी बजट पारित किया जाता है।

बजट सत्र के बाद विधानमंडल सत्र जुलाई और सितंबर के बीच और फिर नवंबर और दिसंबर के बीच संचालित किए जाते हैं। 2023 में नौ राज्यों में सिर्फ दो सत्र संचालित किए गए।

राज्यपाल और राज्य विधानमंडल

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के परस्पर संबंध विवादास्पद हो गए। इनमें से कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गए।[1,2,3,4]

कुछ राज्य सरकारों ने राज्यपाल द्वारा जारी सम्मन की आवश्यकता के बिना, महीनों तक राज्य विधानमंडल के सत्र जारी रखे हैं (पेज 2 देखें)।

कुछ राज्यों में विधायिका द्वारा पारित बिल एक वर्ष से अधिक समय से राज्यपाल के पास लंबित हैं। राज्य सरकारों ने राज्यपाल की मंजूरी में देरी का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है (पेज 10 देखें)।

कई राज्यों ने भी अपने विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन किया है, और राज्यपाल को चांसलर के पद से हटा दिया है (पेज 12 देखें)।

कुछ राज्यों में एक ही सत्र लंबे समय तक चलता रहा

विधानसभा सत्र तब शुरू होता है, जब राज्यपाल सदन को सम्मन करते यानी बुलाते हैं, और समाप्त होता है जब राज्यपाल सत्रावसान करते हैं। सम्मन और सत्रावसान, दोनों राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर किए जाते हैं। एक सत्र के दौरान बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती हैं। 2023 में सात राज्यों में सत्र बिना स्थगित किए छह महीने से अधिक समय तक जारी रहे, और बैठकों के बीच लंबा अंतराल रहा। दिल्ली में यही सत्र मार्च से दिसंबर 2023 तक चला, जिसमें कुल 14 बैठकें हुईं। मार्च और अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित पंजाब के सत्र में 10 बैठकें हुईं। पंजाब ने फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल बजट सत्र नहीं बुला रहे हैं; अदालत ने कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं।[1]

2023 में राजस्थान का सत्र जनवरी से अगस्त तक चला। 2021 और 2022 में राजस्थान में सिर्फ एक ही सत्र हुआ, जो जनवरी से दिसंबर तक चला। पश्चिम बंगाल में जुलाई 2023 में शुरू हुआ सत्र मार्च 2024 तक स्थगित नहीं किया गया। सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में सत्र एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहे। सिक्किम का सत्र जो मार्च 2022 में शुरू हुआ था, उसे अप्रैल 2023 में ही स्थगित कर दिया गया था। तमिलनाडु विधानसभा का एक सत्र जो जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, उसे मार्च 2024 तक स्थगित नहीं किया गया। तेलंगाना में एक सत्र सितंबर 2021 से अगस्त 2023 तक जारी रहा, जब सदन का कार्यकाल ख़त्म हो गया।

विधानसभा की बैठकें औसतन पांच घंटे तक चलीं

2023 में (26 राज्यों में) बैठक की औसत अवधि पांच घंटे थी। जबकि महाराष्ट्र में एक बैठक औसतन नौ घंटे तक चली। सात राज्यों में बैठक की औसत अवधि तीन घंटे थी। बैठक की अवधि भी एक राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 20 दिन की बैठकों में से चार दिन बैठक दो घंटे से कम समय तक चली। लेकिन सबसे ज्यादा लंबी बैठक (26 राज्यों में से) भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, जो 14 घंटे लंबी चली थी। इस बैठक के दौरान विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हुई।

रेखाचित्र 3: 2023 में बैठक की औसत अवधि (घंटों में)

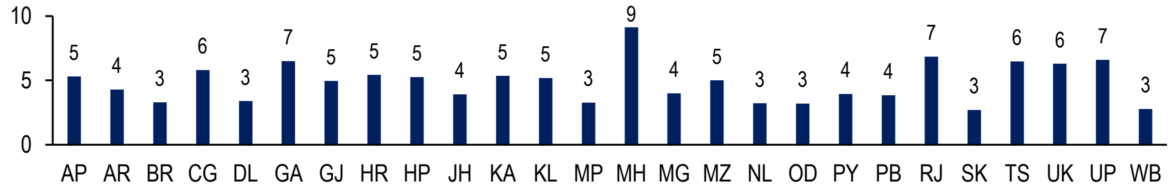

नोट: असम, मणिपुर, तमिलनाडु और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

जब विधानमंडल कुछ दिनों के लिए बैठक करते हैं और इन दिनों में केवल कुछ घंटों के लिए मिलते हैं तो कामकाज पर भी कम समय व्यतीत होता है। 2023 में पांच राज्यों की बैठक 50 घंटे से कम समय के लिए हुई। सात राज्यों में बैठकें 50 से 100 घंटे के बीच और आठ राज्यों में 100 से 150 घंटे के बीच हुई। छह राज्यों में बैठक 150 घंटे या उससे अधिक के समय के लिए हुईं।

रेखाचित्र 4: 2023 में राज्य विधानसभाओं की कुल बैठक का समय (घंटों में)

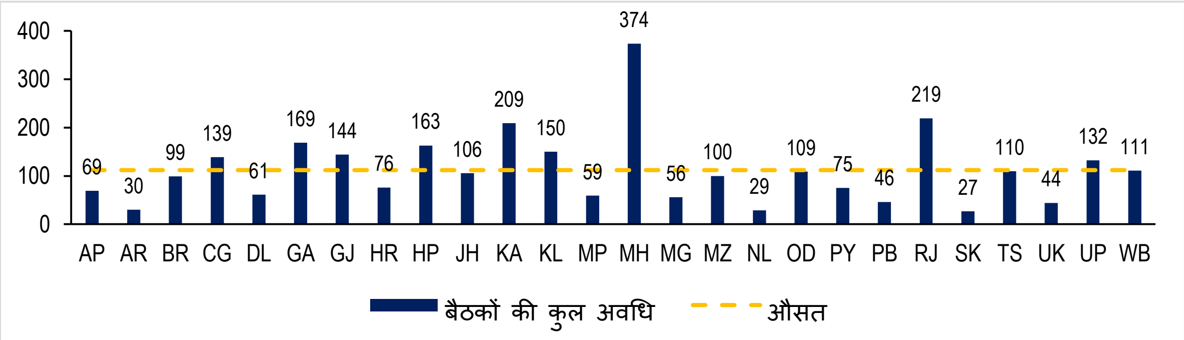

नोट: असम, मणिपुर, तमिलनाडु और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

हर वर्ष बैठक के दिनों की कम होती संख्या

2023 में 22 बैठक दिनों का औसत कोई असामान्य बात नहीं था। पिछले सात वर्षों में राज्य विधानसभाएं प्रति वर्ष औसतन 23 दिनों के लिए बैठक संचालित करती हैं।

रेखाचित्र 5: राज्य विधानसभाओं की बैठक के दिनों की औसत संख्या (2017-2023)

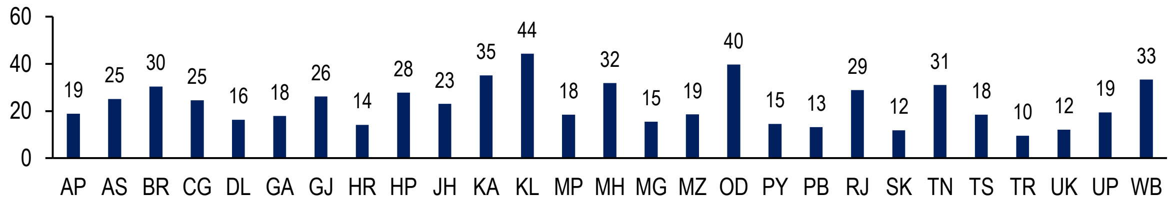

नोट: उपरोक्त रेखाचित्र में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल नहीं हैं। त्रिपुरा का औसत 2017 से 2022 तक का है।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

पिछले सात में से किसी भी एक वर्ष बैठक के औसत दिन 30 से अधिक नहीं हुए। 2017 में 28 दिन के औसत से, पिछले तीन वर्षों में यह आंकड़ा 21-23 दिनों तक गिर गया है (कोविड-प्रभावित 2020 में तेज गिरावट के बाद)। केरल (वर्ष में औसतन 44 दिन), ओड़िशा (40), और कर्नाटक (35) इस सूची में शीर्ष पर हैं।

2017 में तेलंगाना विधानसभा की 37 दिन बैठक हुई थी, उसके बाद से किसी भी वर्ष बैठक 20 दिनों से अधिक नहीं हुई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में 2016 के बाद से किसी भी वर्ष 20 दिनों से अधिक बैठक नहीं हुई हैं।

संविधान ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं करता कि राज्य विधानसभाओं की बैठकें कितने दिन होंगी। कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या तय की है।[5,6,7] यह कानून बनाकर या उनकी विधानसभाओं के कार्य प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से किया गया है। हालांकि इनमें से किसी भी राज्य ने 2017 और 2023 के बीच किसी भी वर्ष में लक्ष्य पूरा नहीं किया है।

"संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग" ने सुझाव दिया था कि 70 से कम सदस्यों वाली विधानसभाएं वर्ष में कम से कम 50 दिनों के लिए बैठक करें, जबकि बड़ी विधानसभाएं कम से कम 90 दिनों के लिए बैठक करें।[8] जिन छह राज्यों में न्यूनतम बैठक दिनों की आवश्यकता है, उनमें से केवल हिमाचल प्रदेश (68 सदस्य) में 70 से कम सदस्य हैं।

रेखाचित्र 6: 27 राज्यों की बैठक के औसत दिन

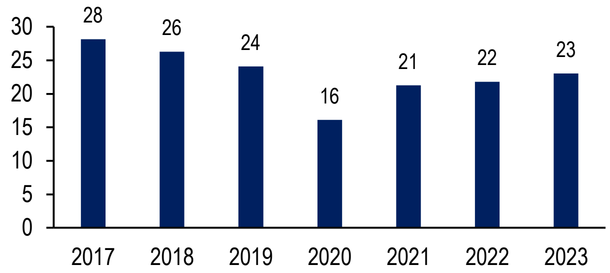

नोट: उपरोक्त रेखाचित्र में वे 27 राज्य शामिल हैं, जो रेखाचित्र 5 में दिखाए गए हैं।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

तालिका 1: राज्य विधानसभाओं की बैठकों की अनिवार्य संख्या

राज्य	बैठकों की अनिवार्य संख्या	औसत दिन (2017-2023)
HP	35	28
KA	60	35
OD	60	40
PB	40	13
RJ	60	29
UP	90	19

स्रोत: विभिन्न राज्य विधानसभाओं की कार्य प्रक्रिया के नियम; कर्नाटक राज्य विधानमंडल में सरकारी कामकाज का संचालन एक्ट, 2005; पीआरएस।

राज्यों ने औसतन सात दिन बजट पर चर्चा की

विधानमंडल हर वर्ष सरकारी बजट पर चर्चा और उसे पारित करके सरकारी वित्त की जांच करते हैं। बजट पर दो चरणों में चर्चा की जाती है - एक सामान्य चर्चा, उसके बाद मंत्रालय/विभागीय व्यय पर चर्चा (रेखाचित्र 7 देखें)। 2023 में 26 राज्यों ने औसतन सात दिनों तक बजट पर चर्चा की। बजट चर्चा पर तमिलनाडु ने 19 दिन व्यतीत किए, उसके बाद गोवा (17), गुजरात (15), और केरल (13) का स्थान रहा। दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों ने एक ही दिन में अपने बजट पर चर्चा की और उसे पारित कर दिया।

रेखाचित्र 7: राज्य विधानमंडलों में बजट पारित होने की प्रक्रिया

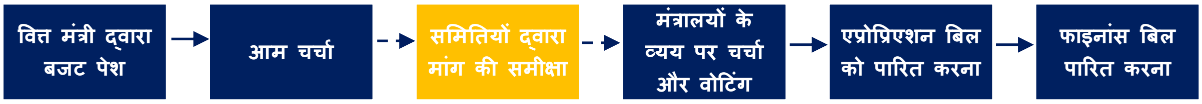

नोट: अधिकांश राज्यों में समितियों द्वारा अनुदान मांग की जांच नहीं की जाती है।

रेखाचित्र 8: 2023 में बजट और मंत्रालयों के व्यय पर व्यतीत दिन

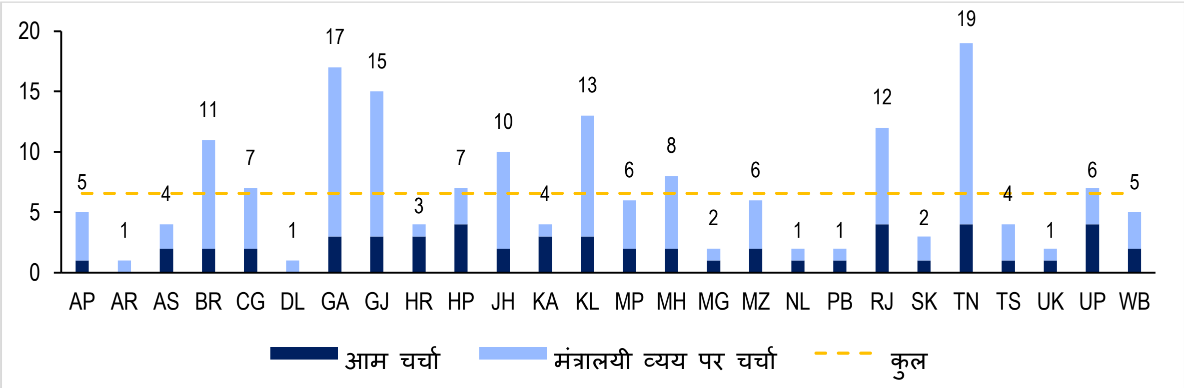

नोट: मणिपुर, ओड़िशा, पुद्दूचेरी और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। कर्नाटक का आंकड़ा जुलाई 2023 में पारित पूर्ण बजट का है।
स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स; पीआरएस।

संसद में बजट सत्र दो चरणों में संपन्न होता है और उन चरणों के बीच अवकाश होता है। अवकाश के दौरान संसदीय स्थायी समितियां मंत्रालय के खर्चों की समीक्षा करती हैं। हालांकि अधिकांश राज्यों में कोई अवकाश नहीं होता जिसके कारण विधायकों के पास विस्तार से बजट दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। इसके अलावा उनके पास बारीकी से बजट की जांच के लिए समितियां भी नहीं होती हैं।

2023 में 17 राज्यों ने बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के एक दिन के भीतर मंत्रालयी व्यय पर चर्चा शुरू की। 2022 में यह आंकड़ा 13 था (उन 20 राज्यों में से, जिनके आंकड़े उपलब्ध थे)। बिहार, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 2023 में दो चर्चाओं के बीच 10 या अधिक दिनों का अंतर था। हरियाणा ने 2023 में मंत्रालयी व्यय की जांच के लिए आठ समितियों का गठन किया।[9] समितियों ने अपने गठन के 22 दिन बाद सामान्य चर्चा शुरू होने के दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रेखाचित्र 9: राज्यों में मंत्रालय के व्यय पर सामान्य चर्चा और चर्चा के बीच के दिन

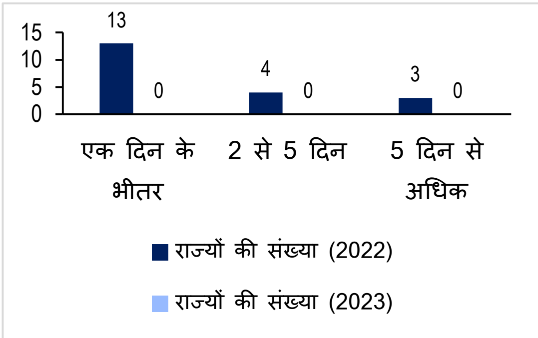

नोट: एक दिन के भीतर का अर्थ यह है कि मंत्रालय के व्यय पर चर्चा उस दिन शुरू हुई, जिस दिन आम चर्चा खत्म हुई, या उसके अगले ही दिन। 2023 में 26 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध थे और 2022 में 20 राज्यों के। 2023 में शामिल अतिरिक्त राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड।
स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स; पीआरएस।

बजट पर वोटिंग

मंत्रालयी खर्चों पर चर्चा के बाद बजट पर मतदान होता है। कुछ मामलों में प्रत्येक मंत्रालय की व्यय मांग पर चर्चा के तुरंत बाद अलग से मतदान किया जा सकता है। कभी-कभी मांगों के एक समूह को एक साथ जोड़ दिया जाता है, और एक साथ चर्चा की जाती है और मतदान किया जाता है। अक्सर, मांगों को गिलोटिन किया जाता है, यानी, मांगों पर चर्चा किए बिना मतदान किया जाता है। 2023 में रेखाचित्र 10 में दिखाए गए 10 राज्यों ने लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस राशि का 36% हिस्सा बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। हमारे पास अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं हैं।

रेखाचित्र 10: 2023 में राज्यों में बिना चर्चा के पारित बजट का अनुपात (2023-24 के लिए)

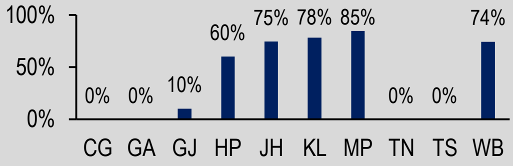

स्रोत: राज्य बजट, विधानसभा वेबसाइट्स; पीआरएस।

2023 में 13 राज्यों में वित्तीय समितियों की 866 बैठकें हुईं; कुछ ही राज्यों में विषय संबंधी समितियां हैं

समितियां विधायिका का अभिन्न अंग हैं। विधानमंडल विभिन्न क्षेत्रों के जटिल मामलों से निपटते हैं। समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों के एक छोटे समूह को इन मामलों पर व्यापक तौर से विचार करने का मौका मिलता है। वे बजट, बिल और प्रत्यायोजित विधानों की जांच करते हैं, सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं और विधानमंडलों के कामकाज के पहलुओं पर भी नजर रखते हैं। इस कार्य में वे सरकारी अधिकारियों, बाहरी विशेषज्ञों और जनता को संलग्न कर सकते हैं ताकि उनके नजरिए को भी इस कार्य में शामिल किया जा सके। समितियां अपने निष्कर्षों को, रिपोर्ट के तौर पर विधानसभा में प्रस्तुत करती हैं जिसका उपयोग विधायक अधिक जानकारीपूर्ण बहस के लिए कर सकते हैं।

आमतौर पर तीन प्रकार की समितियां होती हैं: (i) सामान्य, (ii) वित्तीय, और (iii) विभागीय स्थायी समितियां (स्टैंडिंग कमिटीज़) या विषय संबंधी समितियां। ये समितियां स्थायी होती हैं, इनके सदस्य नियमित अंतराल पर बदलते रहते हैं। सामान्य समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, पुस्तकालय समिति, विशेषाधिकार समिति आदि शामिल हैं। विधानमंडल किसी विशिष्ट मामले, जैसे बिल या किसी महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा के लिए तदर्थ या अस्थायी समितियां भी स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार ने राज्य में विरासत विकास का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की और केरल ने केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की। विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने के बाद इन समितियों को भंग कर दिया जाता है। जबकि अधिकांश राज्यों ने वित्तीय समितियों और कई सामान्य समितियों का गठन किया है, कुछ राज्यों ने विषय संबंधी समितियों का गठन किया है।

2023 में चार राज्यों में विषय संबंधी समितियों ने 1,110 से अधिक बैठकें कीं, और 110 रिपोर्ट प्रस्तुत कीं

विधानमंडल किसी विशेष विषय, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा के लिए समितियों का गठन कर सकते हैं। ये समितियां उस विषय से संबंधित बिल और संबंधित सरकारी विभागों के खर्चों की समीक्षा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, संसद ने 24 विभागीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) का गठन किया है। कुछ राज्य विधानमंडलों में ऐसी समितियां हैं।

जिन राज्यों ने इन समितियों का गठन किया है, वहां इनके नाम या संख्या में एकरूपता नहीं है। केरल ने 14 विषय समितियों का गठन किया है। दिल्ली में सात डीआरएससी हैं, और ओड़िशा में 10 हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न विषयों पर 26 स्थायी समितियां हैं। केरल में विषय संबंधी समितियों की अध्यक्षता उनके संबंधित मंत्रियों द्वारा की जाती है, संसद के विपरीत, जहां मंत्री किसी भी समिति का हिस्सा नहीं होते हैं।

2023 में पश्चिम बंगाल में विषय संबंधी प्रत्येक समिति की औसतन 36 बैठकें हुईं। अन्य राज्यों में समितियों का औसत काफी कम है (रेखाचित्र 11)।

रेखाचित्र 11: 2023 में विषय संबंधी समितियों की बैठकों के दिन और प्रस्तुत रिपोर्ट्स की संख्या

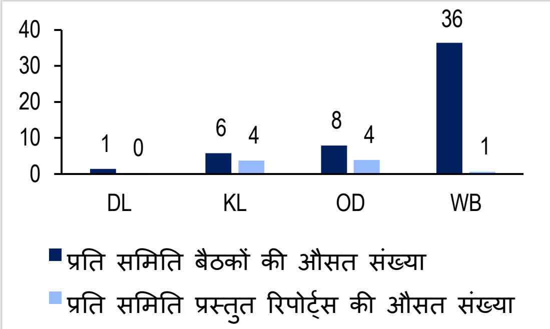

स्रोतः आरटीआई; पीआरएस।

2023 में राज्यों में वित्तीय समितियों ने 22 बैठकें कीं और औसतन नौ रिपोर्ट पेश कीं

वित्तीय समितियां सरकारी वित्त की जांच करती हैं। मुख्य रूप से तीन वित्तीय समितियां होती हैं: (i) लोक लेखा समिति (पीएसी); (ii) प्राक्कलन समिति; और (iii) सार्वजनिक उपक्रम समिति (पीयूसी)। कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों से संबंधित वित्त पोषण की समीक्षा के लिए एक स्थानीय निधि खाता समिति भी होती है। हमारे पास 13 राज्यों के आंकड़े हैं। इनमें से महाराष्ट्र की वित्तीय समितियों की 2023 में एक बार भी बैठक नहीं हुई। आठ राज्यों की 16 समितियों ने 2023 में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

पीएसी राज्य सरकार के सभी खातों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राज्य रिपोर्ट्स की समीक्षा करती है। आमतौर पर पीएसी की अध्यक्षता विधानसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। 2023 में 13 राज्यों की पीएसी ने 24 बैठकें कीं और औसतन 16 रिपोर्ट पेश कीं। तमिलनाडु में पीएसी ने 95 रिपोर्ट्स पेश कीं, और हिमाचल प्रदेश में 75 रिपोर्ट्स पेश कीं।

रेखाचित्र 12: 2023 में लोक लेखा समितियों की बैठकों और प्रस्तुत रिपोर्ट्स की संख्या

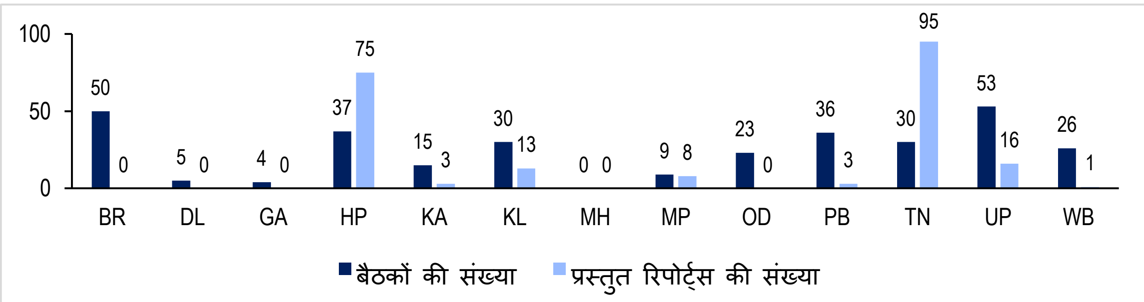

स्रोतः आरटीआई; पीआरएस।

प्राक्कलन समिति राज्य के बजट में प्रस्तुत अनुमानों की जांच करती है, और इन अनुमानों में बदलाव का सुझाव देती है। 2023 में औसतन 13 राज्यों की प्राक्कलन समितियों ने 22 बैठकें कीं और दो रिपोर्ट पेश कीं।

रेखाचित्र 13: 2023 में प्राक्कलन समितियों की बैठकों और प्रस्तुत रिपोर्ट्स की संख्या

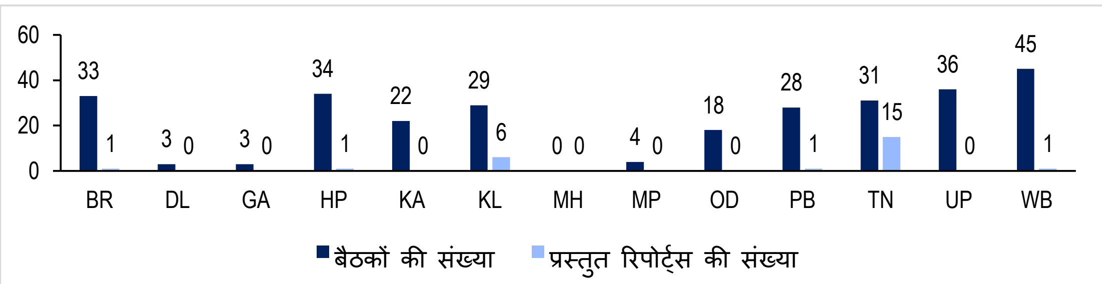

स्रोतः आरटीआई; पीआरएस।

पीयूसी का कार्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की जांच करना और उनकी ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन करना है। 2023 में इन समितियों (13 राज्यों में) ने 20 बैठकें कीं और औसतन आठ रिपोर्ट पेश कीं। बिहार की पीयूसी की बैठक सबसे अधिक (49 बैठकें) हुईं।

रेखाचित्र 14: 2023 में सार्वजनिक उपक्रम समितियों की बैठकों और प्रस्तुत रिपोर्ट्स की संख्या

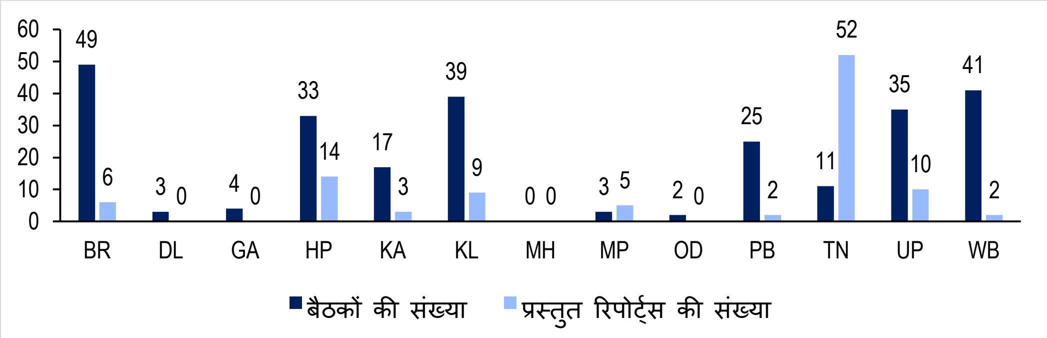

स्रोत: आरटीआई; पीआरएस।

विधि निर्माण पर एक नजर

राज्य विधानसभाओं ने 2023 में 500 से अधिक बिल पारित किए। ये बिल शिक्षा, भूमि, कराधान और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। इस खंड में हम बता रहे हैं कि राज्य कैसे कानून बनाते हैं। इस विश्लेषण में विनियोग (एप्रोप्रिएशन) बिल को शामिल नहीं किया गया है जोकि सरकारी व्यय को मंजूर करने के लिए पारित किया जाता है।

रेखाचित्र 15: राज्य विधानमंडल में बिल पारित होने की प्रक्रिया

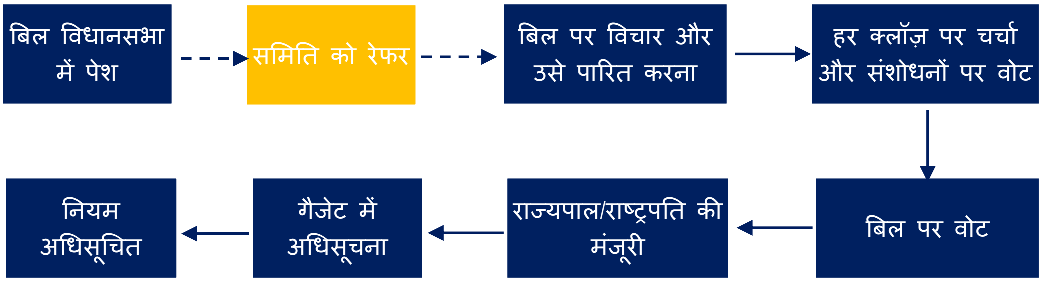

नोट: पहला तीर डॉटेड है क्योंकि सभी बिल समिति को नहीं भेजे जाते। द्विसदनीय विधानमंडलों में यह प्रक्रिया दूसरे सदन, यानी विधान परिषद में भी दोहराई जाती है।

राज्यों ने 2023 में औसतन 18 बिल पारित किए

2023 में 28 राज्यों ने औसतन 18 बिल पारित किए। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक संख्या में बिल (49) पारित किए, उसके बाद आंध्र प्रदेश (42) और गोवा (34) का स्थान रहा। दिल्ली और पुद्दूचेरी ने सबसे कम बिल (हरेक ने 2) पारित किए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (6), बिहार (8), और नागालैंड (8) का स्थान रहा।

रेखाचित्र 16: 2023 में राज्यों द्वारा पारित बिल की संख्या

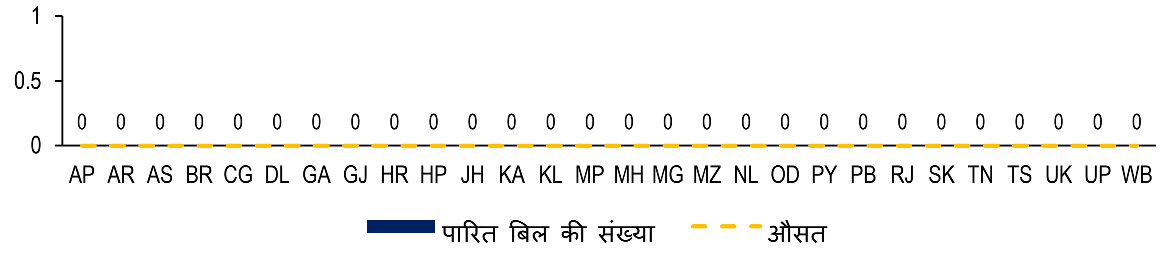

नोट: मणिपुर और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को बिल को दोनों सदनों में पारित करना पड़ता है। उपरोक्त रेखाचित्र में उत्तर प्रदेश को छोड़कर विधान परिषद वाले पांच राज्यों के लिए इस बात को ध्यान में रखा गया है।
स्रोत: राज्य के राजपत्र; विभिन्न राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

पांच राज्यों ने पेश होने के एक दिन के भीतर ही सभी बिल पारित कर दिए

कानून सभी नागरिकों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। कानून निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे बिल की बारीकी से समीक्षा करें और ऐसे कानूनों के निहितार्थों पर विचार-विमर्श और चर्चा करने के बाद उन्हें पारित करें। हालांकि राज्य विधानसभाओं में बिल अक्सर बहुत कम बहस के साथ, जल्दी से पारित हो जाते हैं। इससे कानून की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे बिल को अदालतों में चुनौती मिल सकती है, भविष्य में अप्रत्याशित परिणाम होने पर उनमें बार-बार बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, या पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है।

2023 में जितने भी बिल पारित हुए, उनमें से 44% बिल विधानसभा में पेश किए जाने के दिन या उसके अगले ही दिन पारित हो गए। पिछले दो वर्षों में भी यही प्रवृत्ति थी (2022 में 56%, और 2021 में 44%)। 2023 में पांच राज्यों- गुजरात, झारखंड, मिजोरम, पुद्दूचेरी और पंजाब ने प्रत्येक बिल को पेश करने वाले दिन या अगले दिन पारित कर दिया। इन राज्यों ने 2022 और 2021 में भी एक दिन के भीतर सभी बिल पारित किए।

रेखाचित्र 17: 2023 में बिल पारित करने में लगने वाला समय

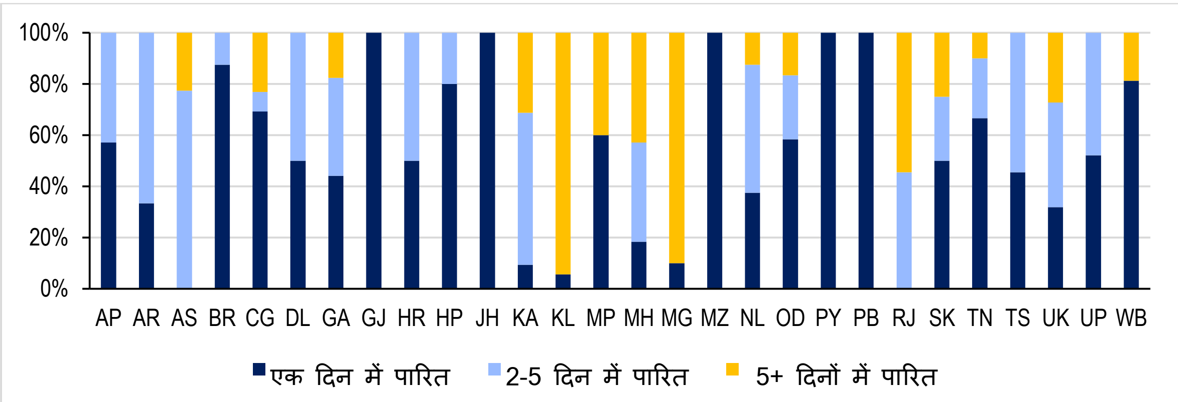

नोट: मणिपुर और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। एक बिल को एक दिन के भीतर पारित माना जाता है, अगर वह पेश होने के दिन या अगले दिन पारित हो जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में, बिल को दोनों सदनों में पारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश (जहां जानकारी उपलब्ध नहीं थी) को छोड़कर, विधान परिषद वाले पांच राज्यों के लिए उपरोक्त रेखाचित्र में इस बात को ध्यान में रखा गया है।
स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स; विभिन्न राज्यों के ई-गजट; आरटीआई; पीआरएस।

13 राज्यों में बिल पेश होने के पांच दिनों के भीतर ही सभी को पारित कर दिया। केरल और मेघालय को अपने 90% से अधिक बिल पारित करने में पांच दिन से अधिक का समय लगा। राजस्थान को 2023 में अपने 55% बिल और 2022 में 73% बिल पारित करने में पांच दिन से अधिक का समय लगा।

चूंकि राज्यों में छोटे सत्र होते हैं, विधायी गतिविधियां कुछ ही दिनों में केंद्रित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में पूरे वर्ष में केवल चार दिन ही बिल पारित हुए। 13 जनवरी, 2023 को चार बिल और 21 अप्रैल, 2023 को 16 बिल पारित किए गए। 10 और 11 अक्टूबर, 2023 को 10 बिल पेश और पारित किए गए। उत्तराखंड में सितंबर 2023 में एक ही दिन में नौ बिल पारित किए गए। इन सभी को दो दिन पहले ही पेश किया गया था।

59% बिल को एक महीने के भीतर राज्यपाल से मंजूरी मिल गई

राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कोई बिल, कानून बन जाता है। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को निम्नलिखित अधिकार देता है: (i) बिल को मंजूरी देना या उसे रोकना, (ii) बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, या (iii) राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को अलग रखना।[10] संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके, बिल को मंजूरी दे दें।

2023 में 59% बिल्स को एक महीने के भीतर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। बिहार, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में सभी बिल्स को एक महीने के भीतर मंजूरी मिल गई।

जिन राज्यों में सबसे ज्यादा संख्या में बिल्स को दो महीने के भीतर मंजूरी नहीं मिली, उनमें असम (80%), नागालैंड (57%), झारखंड (50%), और पश्चिम बंगाल (50%) का स्थान आता है।

बिल पर मंजूरी में देरी

नवंबर 2023 में केरल सरकार ने आठ बिल्स को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा विलंब को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।[2] इनमें केरल लोकायुक्त संशोधन बिल, 2022, केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 और केरल सहकारी सोसायटी संशोधन बिल 2022 शामिल हैं। साथ ही, राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने वाले पांच बिल भी इनमें शामिल हैं। इनमें से छह बिल एक वर्ष से अधिक समय से राज्यपाल के पास लंबित थे। इसके बाद राज्यपाल ने केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 पर अपनी मंजूरी दी और सात अन्य को राष्ट्रपति के विचार के लिए अलग रख दिया।

फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने केरल लोकायुक्त संशोधन बिल, 2022 को मंजूरी दी और तीन बिल्स की मंजूरी पर रोक लगा दी।[11] इसके बाद मार्च 2024 को केरल सरकार ने राष्ट्रपति के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।[12] तमिलनाडु और तेलंगाना सरकारों ने भी ऐसे ही मुद्दों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है क्योंकि उनके संबंधित राज्यपाल अपने विधानमंडलों द्वारा पारित बिल्स को मंजूरी देने में विलंब कर रहे हैं।[3,4]

पश्चिम बंगाल में औसतन किसी बिल को पारित होने के 92 दिन बाद मंजूरी मिलती है। अन्य राज्य जहां बिल्स को मंजूरी मिलने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, वे हैं असम (73 दिन), झारखंड (72), केरल (67), और हिमाचल प्रदेश (55)।

रेखाचित्र 18: 2023 में बिल पर मंजूरी में लगने वाला समय

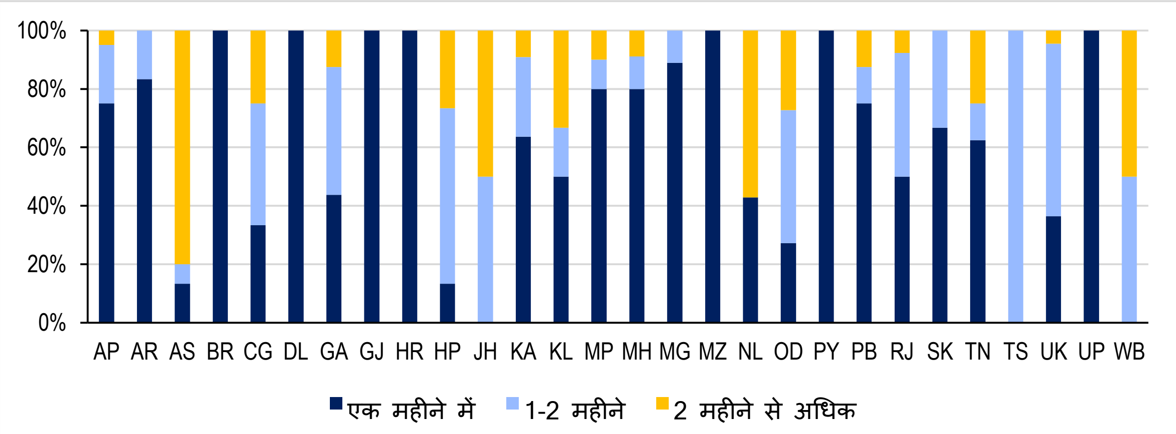

नोट: उपरोक्त रेखाचित्र में सिर्फ रेखाचित्र 17 में प्रदर्शित राज्यों के 2023 में पारित और 31 मार्च, 2024 तक मंजूरी प्राप्त कर चुके बिल्स के आंकड़े प्रस्तुत हैं। स्रोत: विधानसभा की वेबसाइट्स; विभिन्न राज्यों के ई-गजट; आरटीआई; पीआरएस।

2023 में पारित 4% बिल्स की समितियों द्वारा जांच की गई

किसी बिल को पेश किए जाने के बाद उसे विस्तृत समीक्षा के लिए विधायिका की एक समिति को भेजा जा सकता है। इन समितियों में विधायकों का एक छोटा समूह शामिल होता है और इनकी बैठक तब भी हो सकती है, जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो। ये किसी बिल की गहन समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जो सदन में चर्चा के दौरान संभव नहीं हो सकता है। समितियां सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के साथ बातचीत

कर सकती हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञों से परामर्श कर सकती हैं और प्रस्तावित कानून के संभावित निहितार्थों को समझने के लिए सार्वजनिक परामर्श कर सकती हैं।

2023 में पेश किए गए 500 से अधिक बिल्स में से 23 को समितियों को भेजा गया था। इनमें से 15 बिल्स पर रिपोर्ट्स उनकी संबंधित विधानसभाओं में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। बिल को भेजे जाने के दो दिनों के भीतर छह रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गईं। रिपोर्ट पेश होने के एक महीने से अधिक समय बाद ये बिल पारित किए गए। बिल्स को समितियों के पास भेजे जाने के दो महीने के भीतर नौ रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गईं। समिति की रिपोर्ट पेश होने के चार दिनों के भीतर ये बिल पारित कर दिए गए।

कुछ बिल्स को चयन समितियों को भेजा जाता है, जो बिल की समीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। झारखंड चिकित्सा सेवा कर्मी, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम) बिल, 2023 और नागालैंड नगरपालिका बिल, 2023 कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनकी 2023 में चयन समितियों द्वारा समीक्षा की गई। राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार बिल, 2022 पर चयन समिति की रिपोर्ट को, बिल के पेश होने के लगभग छह महीने बाद 2023 में पेश किया गया था। केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल, 2021 को अक्टूबर 2021 में पेश किया गया था, और चयन समिति को भेजा गया था। समिति ने बिल पेश होने के एक वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में बिल्स को एक संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र ने 2023 में छह बिल्स को संयुक्त समितियों को भेजा, जिनमें अनिवार्य वस्तु (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023 और कीटनाशक (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023 शामिल थे।

विधानमंडल बिल्स को विषय संबंधी समितियों को भी भेज सकते हैं जो स्थायी होती हैं। 2023 में केरल में पेश किए गए 70% बिल विषय संबंधी समितियों को भेजे गए थे। अन्य राज्य, जिन्होंने विषय संबंधी समितियां गठित की हैं, वे हैं दिल्ली, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल। हालांकि 2023 में कोई भी बिल इन समितियों को नहीं भेजा गया।

2023 में 20 राज्यों ने 84 अध्यादेश जारी किए

संविधान कार्यपालिका को कुछ आपातकालीन स्थितियों में कानून बनाने की शक्तियां देता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव एक कानून के समान होगा।[13] हालांकि ये कानून अस्थायी हैं और इन्हें विधायिका द्वारा अगली बैठक के छह सप्ताह के भीतर मंजूर किया जाना चाहिए।

2023 में 20 राज्यों ने 84 अध्यादेश जारी किए। सबसे अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश (20) ने अध्यादेश जारी किए थे, उसके बाद आंध्र प्रदेश (11) और महाराष्ट्र (9) का स्थान आता है। केरल ने 2023 में केवल चार अध्यादेश जारी किए, जबकि 2022 में 15 और 2021 में 144 अध्यादेश जारी किए गए थे। 2023 में नए विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश), सार्वजनिक परीक्षा (उत्तराखंड), और अपार्टमेंट स्वामित्व (महाराष्ट्र) जैसे विषयों पर अध्यादेश जारी किए गए।

रेखाचित्र 19: 2023 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेश

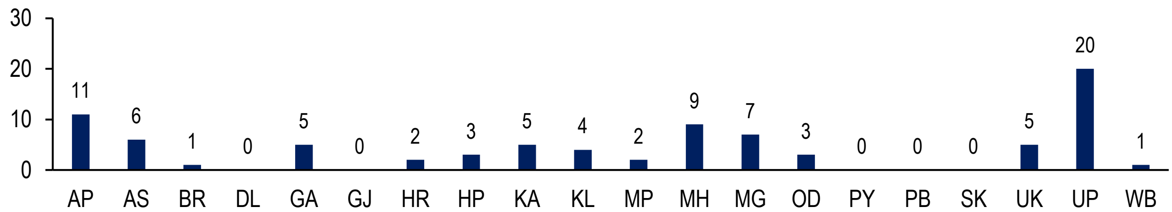

नोट: अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
स्रोत: राज्य के राजपत्र, विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; पीआरएस।

विषय आधारित कानून

राज्यों की विधायिकाएं संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानून बनाती हैं।[14] राज्य सूची के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में आपराधिक और नागरिक प्रक्रिया, शिक्षा, कॉन्ट्रैक्ट और न्याय प्रशासन आदि शामिल हैं। इस खंड में 2023 में राज्यों द्वारा पारित कानूनों और इन कानूनों में शामिल विषयों का अवलोकन किया गया है। एप्रोप्रिएशन और फाइनांस बिल को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है।

रेखाचित्र 20: 2023 में राज्यों द्वारा पारित विषय-वार कानून

नोट: अन्य में ग्रामीण विकास, धर्म और संस्कृति शामिल हैं।

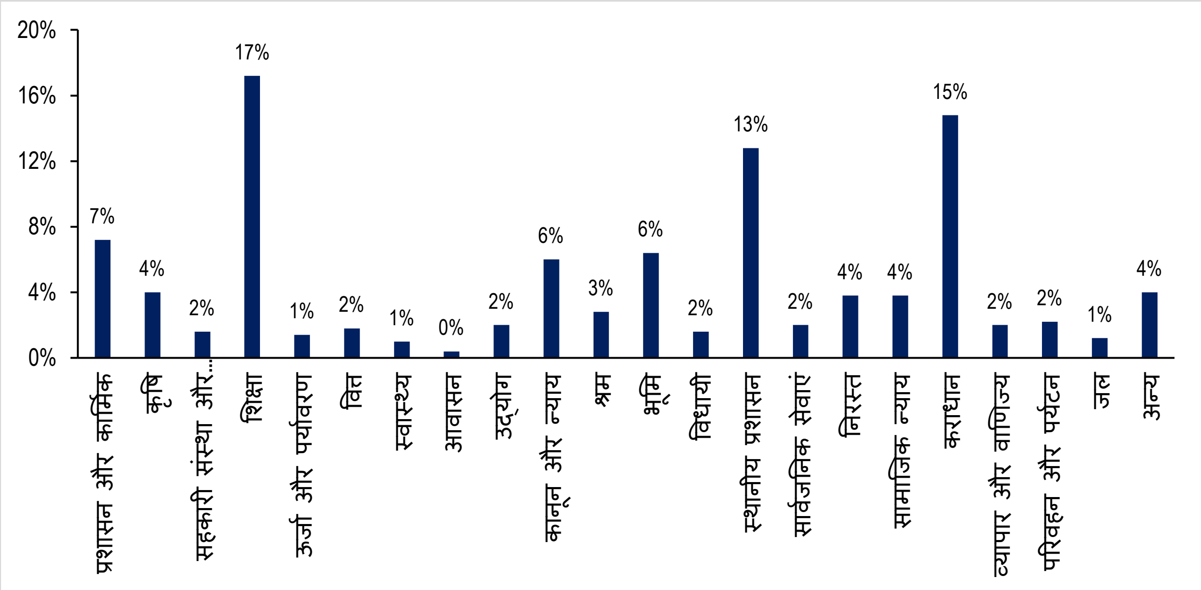

शिक्षा

राज्यों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए

2023 में नौ राज्यों यानी असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किए।[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25] झारखंड, कर्नाटक और सिक्किम में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी कानून पारित किए गए। झारखंड और तेलंगाना ने स्वास्थ्य विज्ञान के लिए संस्थान स्थापित करने वाले बिल पारित किए।[26,27] झारखंड के बिल ने स्वास्थ्य विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्रों के साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय पेशेवर और तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा और स्वास्थ्य विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पदेन चांसलर होंगे। तेलंगाना के बिल के तहत स्थापित संस्थान आधुनिक चिकित्सा और अन्य संबद्ध विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा। बिल में यह प्रावधान भी है कि मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होंगे। यह पहले की परंपरा से हटकर है, जब किसी राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर आमतौर पर राज्यपाल होता था।[28,29]

कई राज्यों ने अपने निजी विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन किए

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपने निजी विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन किए।[30,31,32,33,34] आंध्र प्रदेश के संशोधन के तहत ग्रीनफील्ड विश्वविद्यालयों को डिग्री के संयुक्त प्रमाणीकरण के लिए शीर्ष अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होना होगा। ये विश्वविद्यालय इस तरह की संबद्धता के बिना डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं। संशोधन में चिकित्सा, डेंटल चिकित्सा और संबंधित पाठ्यक्रमों में 50% सीटें और अन्य पाठ्यक्रमों में 35% सीटें सरकारी कोटा (सरकार द्वारा सीटों का आरक्षण)

के रूप में आरक्षित करने का भी प्रावधान है। यह ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।

गोवा संशोधन ने उन शर्तों को सरल बना दिया जिनको पूरा करने के बाद किसी संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप स्थापित किया जा सकता है। कानून के अनुसार, एक नए विश्वविद्यालय को प्रायोजित करने वाली संस्था के पास भूमि, भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए। संशोधन में प्रावधान है कि इन सुविधाओं को दीर्घकालिक आधार पर पट्टे पर भी दिया जा सकता है। गुजरात के बिल में यह प्रावधान है कि पात्र होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता हासिल की जानी चाहिए। मूल कानून में एनएएसी मान्यता प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन 2022 के संशोधन ने यह समय सीमा हटा दी थी।

हरियाणा में अब निजी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं होंगे

हरियाणा ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों की सरकारी सहायता समाप्त करने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा एक्ट, 1995 में संशोधन किया है।[35] आंध्र प्रदेश ने निजी सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 करने के लिए एक कानून पारित किया।[36]

स्वास्थ्य

राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार बिल, 2023 राज्य में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है।[37] इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मुफ्त आउटडोर और इनडोर रोगी विभाग सेवाएं और दवाएं, (ii) आपातकालीन उपचार और देखभाल, (iii) बीमारी की प्रकृति और कारण के बारे में जानकारी, और (iv) परीक्षण या उपचार से पहले सूचित सहमति। इसमें यह भी प्रावधान है कि राजस्थान के निवासी किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बिल में स्वास्थ्य व्यवस्था करने और उसे लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण भी स्थापित किए गए हैं।

महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स खरीद प्राधिकरण बिल, 2023 को मार्च 2023 में पारित किया गया था।[38] प्राधिकरण को विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सामान खरीदने का अधिकार है। यह राज्य सरकार को एक खरीद नीति का सुझाव दे सकता है, और खरीद प्रक्रिया की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है।

कानून एवं न्याय

हरियाणा और राजस्थान ने संगठित अपराध को रोकने के लिए बिल पारित किया

दोनों बिल महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट, 1999 (मकोका) के समान हैं।[39,40] संगठित अपराध को किसी व्यक्ति द्वारा (एक सदस्य के रूप में, या एक आपराधिक संगठन की ओर से) हिंसा, धमकी, डराकर या बल प्रयोग करके निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एक संज्ञेय अपराध, जिसमें न्यूनतम तीन वर्ष की कैद हो सकती है और (ii) जिसके लिए पिछले 10 वर्षों में दो या उससे अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

राजस्थान के बिल के तहत, अगर किसी अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, तो सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना है। अन्य मामलों में, जुर्माना कम से कम पांच वर्ष की कैद है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हरियाणा के बिल में मृत्यु के मामले में सजा मौत या आजीवन कारावास और कम से कम दस लाख रुपए का जुर्माना है। अन्य मामलों में पांच या अधिक वर्ष की कैद और कम से कम पांच लाख रुपए का जुर्माना है।

गुजरात ने सार्वजनिक स्थानों पर कुछ प्रदर्शनों को प्रतिबंधित किया

गुजरात सार्वजनिक स्थान पर विरोध प्रदर्शन निषेध बिल, 2023 सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने पर रोक लगाता है जिससे सार्वजनिक आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है, सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं या अन्य कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी रोक

लगाता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की कैद, 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

राजस्थान ने कैदियों के अधिकारों के लिए कानून बनाया

राजस्थान जेल बिल, 2023 में कैदियों के अधिकारों और राज्य में जेलों के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है।[41] बिल के तहत, कैदियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, पानी और कपड़े जैसी बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतें, संचार का अधिकार और कानूनी उपाय तक पहुंच। बिल में कुछ शर्तों के तहत अस्थायी या विशेष जेलों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें लिंग, अपराध की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति के आधार पर कैदियों को अलग करने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार को राज्य भर की जेलों की निगरानी के लिए एक महानिदेशक नियुक्त करना होगा।

राज्यों ने पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी संरक्षण एक्ट, 2023 में मीडियाकर्मियों (स्वतंत्र पत्रकारों, पत्रकारों, कार्टूनिस्टों, लेखकों और मीडिया प्रशिक्षुओं सहित) के साथ हिंसा की रोकथाम का प्रावधान किया गया है।[42] राज्य सरकार सभी पात्र पत्रकारों का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाएगी। कानून में मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण और संवर्धन समिति बनाने का प्रावधान है। समिति मीडियाकर्मियों के उत्पीड़न, हिंसा या अनुचित अभियोजन और गिरफ्तारी की शिकायतों से भी निपटेगी। मीडियाकर्मियों को परेशान करने या डराने-धमकाने वाले व्यक्तियों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अपराधी कोई मीडिया कंपनी है, तो जुर्माना 10,000 रुपए तक होगा।

झारखंड मेडिकेयर बिल प्रवर समिति को भेजा गया[43]

झारखंड चिकित्सा सेवा कर्मी, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम) बिल, 2023 को 22 मार्च, 2023 को झारखंड विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया था और यह अभी भी समिति के पास लंबित है। बिल चिकित्सा सेवा कर्मियों के साथ हिंसा और चिकित्सा सेवा संस्थानों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाता है। इस बिल के तहत अपराध करने पर दो वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल के तहत चिकित्सा सेवा संस्थानों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना और अस्पताल परिसर तक पहुंच को रेगुलेट करना।

कर्नाटक और राजस्थान ने वकीलों के साथ हिंसा और आपराधिक धमकी के कृत्यों पर रोक लगाने के लिए बिल पारित किया।[44,45] कर्नाटक के बिल में अपराध के लिए छह महीने से तीन वर्ष की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। राजस्थान के बिल में किसी वकील पर हमला करने पर दो वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसी वकील को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये अपराध अदालती परिसर में वकील के कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े होने चाहिए।

वित्त

आंध्र प्रदेश के गारंटीशुदा पेंशन प्रणाली एक्ट, 2023 में 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन प्रणाली चुनने का अधिकार दिया गया है।[46] 2004 के बाद से केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारें एक परिभाषित-अंशदान पेंशन प्रणाली का इस्तेमाल कर रही हैं जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। कई राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर लौट आए हैं और इसी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश ने इस कानून को पेश किया था, जो एक परिभाषित लाभ प्रणाली है। आंध्र प्रदेश का कानून सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अंतिम वेतन की 50% राशि, पेंशन के तौर पर देने की गारंटी देता है। गारंटीशुदा राशि कम होने की स्थिति में, सरकार इसे पूरा करने के लिए टॉप-अप देगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी को 60% गारंटीशुदा वेतन की गारंटी दी जाएगी। गारंटीशुदा पेंशन का पात्र होने के लिए किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को 10 वर्ष की सेवा, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में 20 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए।

राज्यों ने अपने घाटे के लक्ष्यों में संशोधन किए

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु ने अपने एफआरबीएम कानूनों में संशोधन किया।[47,48,49] हिमाचल प्रदेश के कानून में मूल रूप से यह प्रावधान था कि प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में ऋण और घाटे के लक्ष्य का उल्लंघन किया जा सकता है। लक्ष्य का उल्लंघन कब हो सकता है, इसके लिए संशोधन में दो और शर्तें जोड़ी गई हैं: (i) विकासात्मक या अन्य अपरिहार्य व्यय में वृद्धि हुई है या (ii) केंद्र उधार सीमा में वृद्धि की अनुमति देता है। इसमें राजस्व घाटे को खत्म करने के लक्ष्य के रूप में वर्ष 2011-12 को भी हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2023-24 और 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6% तक और उस वर्ष के बाद 3% तक रखा जाएगा।

पंजाब एफआरबीएम एक्ट, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि 2014-15 से राजस्व घाटे को समाप्त कर दिया जाएगा और 2020-21 से राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% पर लक्षित किया जाएगा। 2023 का बिल यह निर्दिष्ट करने के लिए इसमें बदलाव करता है कि घाटे के लक्ष्य को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए अपने जीएसटी कानूनों में संशोधन किए

ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए कई राज्यों ने 2023 में अपने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में संशोधन किया। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।[50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60] संशोधन में ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग को परिभाषित करने के लिए एक नया खंड शामिल किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग को इंटरनेट या मनी गेमिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खेल यानी गेम की पेशकश के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑनलाइन गेमिंग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें खिलाड़ी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित धनराशि का भुगतान या उसे जमा करते हैं। केंद्र ने कैसीनो, घुड़दौड़, जुआ और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सीजीएसटी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर आईजीएसटी लगाने के लिए 2023 में केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन किया था।

हिमाचल प्रदेश ने जल उपकर वसूलने के लिए कानून बनाया

हिमाचल प्रदेश जलविद्युत उत्पादन पर जल उपकर (सेस) एक्ट, 2023 में जलविद्युत उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर जल उपकर की वसूली का प्रावधान है।[61] कानून जलविद्युत उत्पादन पर जल उपकर के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग की स्थापना करता है। आयोग जलविद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उलीचे गए पानी का आकलन करेगा और तदनुसार उपकर की गणना करेगा। सरकार उपकर के लिए दरें तय करेगी। कानून में जल उपकर का भुगतान न करने की स्थिति में दंड का भी प्रावधान है। मार्च 2024 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया।[62]

राज्यों ने व्यवसायों पर कर लगाने के लिए कानूनों में संशोधन किए

कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने व्यवसायों पर कर लगाने वाले अपने कानूनों में संशोधन किए।[63,64,65] कर्नाटक के कानून के अनुसार किसी पेशे से जुड़े व्यक्तियों को कर का भुगतान करना आवश्यक है। संशोधन में करों का भुगतान न करने पर जुर्माने को कर मूल्य के 10% तक सीमित कर दिया गया है। एक्ट के अनुसार व्यक्ति को कर मूल्य का 50% तक जुर्माना देना होगा।

मध्य प्रदेश संशोधन ने कानून का अनुपालन न करने पर कंपनियों के लिए दंड और नियोक्ताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने को हटा दिया। महाराष्ट्र के संशोधन में प्रावधान है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों या बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों को व्यवसाय कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। विकलांग व्यक्ति अधिकार एक्ट, 2016 में बेंचमार्क विकलांगता को निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।[66]

प्रशासन एवं कार्मिक

राज्यों ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग के लिए कड़े दंड लागू किए

कई राज्यों ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन और लीकेज को रोकने के लिए नए कानून पारित किए। राजस्थान ने दंड बढ़ाने के लिए अपने सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) एक्ट, 2022 में संशोधन किया।[67,68,69,70,71,72]

तालिका 2: विभिन्न राज्य कानूनों के तहत दंड की सीमा

प्रावधान	गुजरात	झारखंड	कर्नाटक	राजस्थान	उत्तराखंड
कैद	कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक	कम से कम एक वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा	12 वर्ष तक	कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम उम्रकैद तक की सज़ा	कम से कम तीन वर्ष से लेकर उम्र कैद तक
जुर्माना	10 लाख से एक करोड़ रुपए के बीच	पांच लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच	10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच	एक लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच	कम से कम पांच लाख रुपए
संपत्ति की जब्ती की अनुमति?	हां	हां	हां	हां	हां
परीक्षा से वंचित करने की अनुमति?	हां	हां	हां	हां	नहीं

नोट: एक्ट परीक्षार्थी, पर्यवेक्षकों, परीक्षा कार्य के लिए तैनात प्रशासन, परीक्षा आयोजित करने वाले प्रबंधन और एक्ट का उल्लंघन करने वाले तीसरे पक्ष के लिए अलग-अलग दंड निर्दिष्ट करता है। यह तालिका केवल अपराधों की प्रकृति, गलत करने वाले और आवृत्ति के आधार पर सभी प्रकार के दंडों की सीमा दर्शाती है। स्रोत: संबंधित एक्ट्स; पीआरएस।

राज्यों ने अपने लोकायुक्त कानूनों में संशोधन किया

लोकायुक्त लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों की जांच करने के लिए एक राज्य स्तरीय निकाय है। महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की स्थापना के लिए एक कानून पारित किया।[73] आंध्र प्रदेश एक्ट, 1983 के तहत, एक मौजूदा जिला न्यायाधीश को उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।[74] उच्च न्यायालय में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाले एक वकील को उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति की अनुमति देने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया था।[75] हिमाचल प्रदेश एक्ट, 2014 में लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया गया था।[76] संशोधन में कहा गया है कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन, भत्ता और सेवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप होगी।[77]

सिक्किम लोकायुक्त एक्ट, 2012 के तहत, लोकायुक्त को महालेखाकार, सिक्किम द्वारा ऑडिट के लिए अपने खातों को मेनटेन करना है।[78] संशोधन में वित्त खातों और ऑडिट से संबंधित विस्तृत प्रावधान पेश किए गए हैं।[79] यह राज्य सरकार को लोकायुक्त को वेतन, भत्ते और अन्य प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है। पश्चिम बंगाल लोकायुक्त एक्ट, 2003 के तहत लोकायुक्त को तीन वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी।[80] संशोधन में कहा गया है कि लोकायुक्त या तो तीन वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रह सकता है।[81] इसमें यह भी कहा गया है कि एक बार उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, लोकायुक्त किसी भी क्षमता में राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होने के लिए अयोग्य होंगे। लोकायुक्त का कार्यकाल उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद दो वर्ष के भीतर बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें।

तमिलनाडु ने सरकारी सेवा में भर्ती के लिए तमिल भाषा के ज्ञान को अनिवार्य किया

तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) एक्ट, 2016 सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों को रेगुलेट करता है।[82] एक्ट के तहत ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति संभव है, जिसके पास भर्ती के समय तमिल भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, लेकिन वह नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर तमिल भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। संशोधन ने इस प्रावधान को

हटा दिया गया है और पद की पात्रता के लिए नियुक्ति के समय तमिल भाषा का पेपर पास करना अनिवार्य कर दिया है।[83]

कृषि

राज्यों ने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से संबंधित अपने कानूनों में संशोधन किए

गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु ने अपने कृषि उपज मार्केटिंग कानूनों में संशोधन किया।[84,85,86,87] संशोधन व्यापक तौर पर मौजूदा एपीएमसी रेगुलेटरी तंत्र में संशोधन या उन्हें बदलने से संबंधित हैं।

कर्नाटक में बाज़ार समिति बाज़ार प्रांगणों (मार्केट यार्ड्स) और संबद्ध स्थानों में कृषि उपज की बिक्री और खरीद को रेगुलेट करती थी। किसी अन्य स्थान पर मार्केटिंग करना अपराध था। यह संशोधन इसके स्थान पर गैर-निर्दिष्ट बाजार प्रांगणों या उप प्रांगणों में भी कृषि उपज की बिक्री और खरीद की अनुमति देता है।[88]

तमिलनाडु संशोधन में कहा गया है कि कृषि उपज का व्यापार लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है।[89] यह बाजार समिति के सचिव को प्रत्यक्ष मार्केटिंग के लाइसेंसी, निजी बाजार प्रांगण या उप प्रांगण और लाइसेंसधारियों के बीच विवादों को हल करने का भी प्रावधान करता है।

गुजरात एक्ट के तहत, कृषि उपज के व्यापार की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार द्वारा जारी लाइसेंस हो। संशोधन अन्य राज्यों के लाइसेंस धारकों को दोनों राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार कृषि उपज खरीदने की अनुमति देता है।[90] यह निजी बाज़ार प्रांगणों के मालिकों, समिति सदस्यों और निदेशक मंडल और उनके परिवार के सदस्यों को बाज़ार समितियों का चुनाव लड़ने से भी रोकता है।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी एक्ट, 1964 के तहत, राज्य में लाई गई निर्दिष्ट कृषि उपज पर बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाया गया था।[91] एक्ट में यह जोड़ने के लिए संशोधन किया गया कि राज्य सरकार कुछ मामलों में इस शर्त से छूट दे सकती है, जैसे, (i) प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, और (ii) ऐसी इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली कृषि उपज की मार्केटिंग को बढ़ावा देना।[92] इन छूटों के कारण मंडी समितियों की आय में जो भी कमी होगी, उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

राज्यों ने कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कानून पारित किए

गोवा ने कृषि भूमि हस्तांतरण पर गोवा प्रतिबंध एक्ट, 2023 पारित किया जो कृषि भूमि को धान की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है।[93] इस कानून ने कृषि भूमि को गैर-कृषकों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई। इसमें छूट दी जाती है, अगर: (i) औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि की जरूरत है, (ii) सहकारी कृषि समिति को भूमि की जरूरत है, (iii) कलेक्टर का मानना है कि भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कृषि करना चाहता है और सक्षम है। मौजूदा कृषि भूमि मालिकों को ऐसी भूमि के दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। एक्ट के उल्लंघन के मामले में, जुर्माना भूमि के बाजार मूल्य के बराबर होगा और भूमि सरकार को जब्त करनी होगी।

तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास एक्ट, 2020 ने संरक्षित कृषि क्षेत्रों में जस्ता/तांबा/एल्यूमीनियम स्मेल्टर, लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र, टैनरी, पशु भागों के प्रसंस्करण, अन्वेषण, ड्रिलिंग और जहाज तोड़ने से संबंधित परियोजनाओं पर रोक लगाई है।[94] इस एक्ट को 2023 में संशोधित किया गया। संशोधन में पशुपालन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को 'कृषि' की परिभाषा में जोड़ा गया। इसके तहत कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया है। साथ ही मयिलादुथुराई जिले को एक संरक्षित कृषि क्षेत्र कहा गया है।[95]

राजस्थान ने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग गठित किया

राजस्थान राज्य किसान ऋण राहत आयोग एक्ट, 2023 ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ऋण राहत आयोग की स्थापना की।[96] आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संकटग्रस्त फसलों और क्षेत्रों की घोषणा करना, (ii) किसानों के लिए ऋण पर उचित ब्याज दर तय करना, (iii) किसानों और लेनदारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए सुलह करना और फैसले देना, (iv) किसानों को राहत देने

के लिए लेनदारों के साथ बातचीत करना, और (v) किसानों को ऋण राहत कैसे दी जाए, इस पर सरकार को सिफारिश करना। आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

राज्यों ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के रेगुलेशंस से संबंधित कानूनों में संशोधन किया

केरल डेयरी किसान कल्याण कोष एक्ट, 2007 ने राज्य में पशुपालक किसानों के लिए एक कोष का गठन किया था।[97] 2023 का संशोधन डेयरी किसानों और उनके परिवारों के लिए बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है।[98] संशोधन में उनके मवेशियों के लिए चारा और दवा के वितरण की योजनाएं भी शामिल हैं। एक्ट ने केरल डेयरी किसान कल्याण कोष और इसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक बोर्ड का गठन किया था। संशोधन ने सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 15 कर दी जिसमें दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अगर सरकार इसके प्रदर्शन से संतुष्ट न हो तो संशोधन सरकार को इस बोर्ड को अनिश्चित काल के लिए और बिना किसी अधिसूचना के भंग करने का अधिकार देता है।

महाराष्ट्र ने वीर्य (सीमन) के उत्पादन और वितरण, कृत्रिम गर्भाधान और सहायक प्रजनन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए बोवाइन प्रजनन (रेगुलेशन) एक्ट, 2023 पारित किया।[99] इसके लिए, एक्ट में राज्य में पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन रेगुलेटरी अथॉरिटी' की स्थापना का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत अपराधों में पंजीकरण के बिना गोजातीय प्रजनन गतिविधियों को अंजाम देना, प्रजनन गतिविधियों में मानकों को बनाए रखने में विफलता और अप्रमाणित बैलों से वीर्य का उत्पादन शामिल है। एक्ट का उल्लंघन करने पर दंड दो लाख रुपए तक के जुर्माने से लेकर छह महीने तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।

आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश दुग्ध खरीद (किसानों की सुरक्षा) और दूध मानक सुरक्षा प्रवर्तन एक्ट, 2023 पारित किया।[100] यह 'मिलावटी' को ऐसी किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित करता है जिसका उपयोग दूध को असुरक्षित बनाने के लिए किया जा सकता है। यह दूध खरीद के लिए लाइसेंस अनिवार्य करता है और मिल्क एनालाइजर्स (दूध की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण) के उपयोग के लिए मानक और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं निर्धारित करता है। यह कानून के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक दुग्ध आयुक्त, दुग्ध निरीक्षक और अन्य अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निर्धारित सुरक्षा मानकों के किसी भी उल्लंघन और एक्ट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दो वर्ष तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।

संसद राज्यों के लिए कानून बना रही है

संविधान उन मामलों को तीन अलग-अलग सूचियों में विभाजित करता है जिन पर संसद और राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं।[101] संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, रेलवे और बैंकिंग। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल और भूमि। हालांकि कुछ स्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की भी अनुमति देता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल मानते हैं कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर बिल बनाना चाहिए और वे उस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं।[102] फिर संसद राज्य सूची के किसी मामले से संबंधित बिल पारित कर सकती है।

उदाहरण के लिए फरवरी 2024 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया था।[103] यह बिल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाओं द्वारा केंद्रीय एक्ट, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) एक्ट, 1974 में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित करने के बाद पेश किया गया था। यह संशोधन जल प्रदूषण से संबंधित उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है। संशोधित एक्ट के प्रावधान केवल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान पर लागू होंगे। अन्य राज्य भी अपनी-अपनी राज्य विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके इस एक्ट को अपना सकते हैं।

भूमि

आंध्र प्रदेश ने भूमि अधिकार पर विभिन्न कानूनों में संशोधन किए

आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) एक्ट, 1956 के तहत, मकान मालिक (इनामदार) और किरायेदार भूमि के रैयतवारी पट्टे के हकदार हैं।[104,105] एक पट्टा एक लिखित समझौते में अपने

किरायेदार के साथ मकान मालिक की वचनबद्धता होता है। इसमें पार्टियों को बाध्य करने वाली सभी शर्तें शामिल होनी चाहिए। अगर किरायेदार ने दावे के लिए आवेदन नहीं किया, तो इनामदार पूरी भूमि के रैयतवारी पट्टे का हकदार था। संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी किरायेदार की ओर से कोई आवेदन नहीं आया है, तो दावारहित भूमि इनामदार के बजाय सरकार के पास चली जाएगी।[106]

आंध्र प्रदेश ने आवंटित भूमि (हस्तांतरण का निषेध) एक्ट, 1977 में भी संशोधन किया, जिसने भूमिहीन गरीब लोगों को खेती के लिए सरकार द्वारा सौंपी गई भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी।[107] संशोधन ऐसे भूस्वामियों को भूमि सौंपे जाने के 20 वर्ष पूरे होने के बाद पूर्ण भूमि अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि वे भूमि हस्तांतरित कर सकते हैं।[108]

आंध्र प्रदेश भूदान और ग्रामदान एक्ट, 1965 का उद्देश्य विनोबा भावे आंदोलन के तहत दान की गई भूमि के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाना और इसे सामुदायिक उद्देश्यों के लिए भूमिहीन गरीब लोगों में वितरित करना है।[109] एक्ट के तहत, ग्राम सभा के एक आवेदन पर, तहसीलदार को एक आवंटी को बेदखल करने का अधिकार दिया गया था, अगर वे दो वर्ष के भीतर भूमि पर खेती करने में विफल रहे। संशोधन तहसीलदार को स्वत: संज्ञान लेकर बेदखली का आदेश देने की अनुमति देता है।[110]

महाराष्ट्र और ओड़िशा ने अपार्टमेंट स्वामित्व और संबंधित मामलों पर कानून बनाए

महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व एक्ट, 1970 अपार्टमेंट की इमारतों के पुनर्विकास का प्रावधान करता है। पुनर्विकास का प्रस्ताव मालिकों के साधारण बहुमत से सहमति प्राप्त करने के बाद टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन पर, सभी अपार्टमेंट मालिकों को पुनर्विकास की अनुमति देने के लिए अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे।[111] अपार्टमेंट मालिकों का संघ या डेवलपर तब सभी अपार्टमेंट मालिकों को ऐसे आवास के बदले में वैकल्पिक अस्थायी आवास या किराया प्रदान करेगा।

ओड़िशा ने एक इमारत में अपार्टमेंट्स के स्वामित्व और संबंधित मामलों से जुड़ा एक नया कानून पारित किया।[112] यह कानून मालिक को अपार्टमेंट्स का विशेष स्वामित्व और कब्ज़ा देता है, साथ ही कॉमन एरिया और सुविधाओं पर अविभाजित हित भी। एक्ट प्रमोटर्स की जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। यह मालिक को कॉमन एरियाज़ के उपयोग सहित अपार्टमेंट को बेचने, गिरवी रखने, पट्टे पर देने या उपहार में देने का अधिकार भी देता है। यह संसद द्वारा पारित रियल एस्टेट (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है।[113] यह एक्ट रेसिडेंशियल एस्टेट परियोजनाओं के खरीदारों और प्रमोटरों के बीच लेनदेन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था।

विभिन्न राज्यों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि कानूनों में संशोधन किया

पश्चिम बंगाल ने सरकारी भूमि के फ्रीहोल्ड हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए अपने भूमि सुधार एक्ट, 1955 में संशोधन किया।[114] इस एक्ट में राज्य को सभी संपत्तियों को सौंपने के बाद पट्टेदारी से जुड़े कानूनों में सुधार से संबंधित प्रावधान हैं। एक्ट के अनुसार, सौंपी गई भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे सौंपा गया है। संशोधन एसाइनी को इस भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे वाणिज्यिक केंद्र, बिजली संयंत्र, कारखाने, हवाई अड्डे या पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए करने की अनुमति देता है।[115]

राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्ति, कंपनी या सरकारी संस्था की किसी भी भूमि के साथ सरकारी भूमि के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए किरायेदारी एक्ट, 1955 में संशोधन किया।[116] सरकारी भूमि के साथ विनिमय की जाने वाली भूमि का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।

तमिलनाडु ने 'विशेष परियोजनाओं' के लिए सरकारी भूमि को समेकित करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए तमिलनाडु भूमि समेकन (विशेष परियोजनाओं के लिए) एक्ट, 2023 पारित किया।[117] ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम से कम 100 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है।

गोवा ने भूमि विकास और भवन निर्माण के लिए छूट की अनुमति दी

गोवा (भूमि विकास और भवन निर्माण का रेगुलेशन) एक्ट, 2008 भूमि विकास और भवन निर्माण को रेगुलेट करता है।[118] यह संशोधन सरकार को किफायती आवास जैसी सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन और आगे बढ़ाने हेतु इस

कानून के तहत किसी भी प्रावधान में ढिलाई देने के लिए सक्षम बनाता है।[119] इसमें भूमि की ज़ोनिंग, भूखंडों का एकीकरण और विकास के लिए अनुमति लेने की प्रक्रियाओं से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश ने भूमि अधिकारों में लैंगिक समानता लाने के लिए कानून में संशोधन किया

हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा एक्ट, 1972, किसी व्यक्ति, परिवार या इकाई के स्वामित्व वाली भूमि की अधिकतम मात्रा को सीमित और रेगुलेट करता है।[120] एक्ट में परिवारों के लिए अधिकतम अनुमेय भूमि सीमा की गणना करने के लिए, बेटों को अलग इकाई माना गया। एक परिवार के पास जितनी भूमि हो सकती है, वह सीधे तौर पर एक परिवार में 'इकाइयों' की संख्या से आनुपातिक होती है। इसलिए बेटों वाले परिवार बेटियों वाले परिवारों की तुलना में अधिक भूमि रख सकते हैं। संशोधन में कहा गया है कि विवाहित और अविवाहित बेटियों को भी भूमि सीमा की गणना के लिए अलग-अलग 'इकाइयों' के रूप में माना जाएगा।[121]

असम ने एक संशोधन के माध्यम से कुछ विशेष मामलों में भूमि धारण की सीमा को हटाया

भूमि जोत सीमा निर्धारण एक्ट, 1956 यह तय करता है कि किसी एक व्यक्ति के पास कितनी अधिक भूमि होगी।[122] यह एक्ट उन शर्तों को भी निर्धारित करता है, जिन्हें पूरा करने पर मालिक या किरायेदार इस सीमा से अधिक जमीन रख सकता है। इसमें कारखानों, सड़कों और पुलों, धार्मिक संस्थानों और अस्पतालों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल थी। संशोधन में पर्यावरण-अनुकूल चाय पर्यटन, नकदी फसलों और बागवानी फसलों की खेती और हरित ऊर्जा और गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को छूट की सूची में जोड़ा गया। इसमें कल्याण केंद्रों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों सहित सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा गया।

श्रम एवं रोजगार

राज्यों ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कानूनों में संशोधन किया

राजस्थान ने प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स को लाभ प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया। गिग वर्कर ऐसा व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर की गतिविधियों और अनुबंध पर काम और कमाई करता है। एक्ट ऐसे गिग वर्कर्स को पंजीकृत करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संचालित करने के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना करता है। प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स से संबंधित प्रत्येक लेनदेन के लिए एग्रीगेटर्स पर शुल्क लगाया जाएगा, जिसे राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।[123] इस फंड का उपयोग पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लाभ के लिए किया जाएगा। इसका प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

असम ने सफाई कर्मचारियों (मानव मल को हाथों से ले जाने वाले या किसी स्वच्छता कार्य में लगे व्यक्ति) के हितों की रक्षा के लिए राज्य आयोग की स्थापना हेतु एक कानून बनाया।[124] आयोग सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश और उनका मूल्यांकन करेगा।

पश्चिम बंगाल ने अपने श्रम कल्याण निधि एक्ट, 1974 में संशोधन किया।[125] एक्ट ने 16,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले लोगों को 'कर्मचारी' की परिभाषा से बाहर रखा था। संशोधन ने इस सीमा को घटाकर 10,000 रुपए कर दिया है। उसने एक्ट के तहत सभी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है और इसके बदले देय जुर्माने की राशि में वृद्धि की है।

आंध्र प्रदेश और झारखंड ने संबंधित एडवोकेट्स कल्याण निधि एक्ट्स में संशोधन किया। आंध्र प्रदेश ने एडवोकेट्स के लिए प्रवेश और सदस्यता शुल्क बढ़ाने के लिए अपने कानून में संशोधन किया।[126] इस शुल्क को आखिरी बार 2006 में संशोधित किया गया था। झारखंड ने वेल्फेयर स्टांप्स के मूल्य को 15 रुपए से 30 रुपए तक संशोधित करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया।[127]

कई राज्यों ने कारखाना कानून में संशोधन किए

फैक्ट्री एक्ट, 1948 वयस्क कारखाना मजदूरों के लिए काम के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करता है। केंद्रीय एक्ट राज्यों को कुछ बदलाव करने की अनुमति देता है, बशर्ते न्यूनतम

शर्तों का पालन किया जाए। 2023 में कई राज्यों ने अनिवार्य कामकाजी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने संबंधित फ़ैक्ट्री एक्ट्स में संशोधन किया (तालिका 3)। राज्यों ने अपने संबंधित फ़ैक्ट्री एक्ट्स के अन्य पहलुओं में भी संशोधन किया। तमिलनाडु ने अपने एक्ट में संशोधन किया ताकि राज्य सरकार केंद्रीय एक्ट में कार्य स्थितियों से संबंधित प्रावधानों से कारखानों को छूट दे सके।[128]

तालिका 3: 2023 में राज्य फैक्ट्री एक्ट्स में किए गए संशोधन

शर्त	फैक्ट्री एक्ट, 1948	झारखंड	कर्नाटक	तेलंगाना
अधिकतम दैनिक कार्य घंटे	9 घंटे	-	12 घंटे (48 घंटे की साप्ताहिक सीमा के अधीन)	-
त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा	75 घंटे	-	144 घंटे	156 घंटे
ब्रेक लेने से पहले काम के घंटे पूरे करने होंगे	5.5 घंटे	-	6 घंटे	-
महिला श्रमिकों के लिए शर्तें	किसी भी महिला को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की आवश्यकता नहीं होगी	महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति होगी*	महिलाओं को अब शर्तों के अधीन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम पर रखा जा सकता है*	-

नोट: *शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) रात की प्रत्येक पाली के बैच में कम से कम 10 महिलाएं, (ii) कारखाने के अंदर और बाहर उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी का प्रावधान, (iii) यह सुनिश्चित करना कि रात की पाली के दौरान कम से कम एक तिहाई पर्यवेक्षक महिलाएं हैं, और (iv) महिला श्रमिकों को परिवहन सुविधा और सुरक्षा गार्ड प्रदान करना। रिक्त स्थान बताता है कि पिछले वर्ष उस विशेष राज्य प्रावधान में कोई संशोधन नहीं हुआ था।
स्रोत: संसद और अन्य राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित फैक्ट्री एक्ट; पीआरएस।

राजस्थान ने न्यूनतम गारंटीशुदा आय प्रदान करने के लिए कानून पारित किया

राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय एक्ट, 2023 मौजूदा राज्य योजनाओं के माध्यम से गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है, और रोजगार को कानूनी अधिकार बनाता है।[129] यह ग्रामीण क्षेत्रों में 25 दिनों (मनरेगा की 100 दिनों की पात्रता से ऊपर) और शहरी क्षेत्रों में 125 दिनों के काम की गारंटी प्रदान करता है। मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर सरकार 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा।[130]

सामाजिक न्याय

कई राज्यों ने कमजोर वर्गों के लिए आयोगों से संबंधित कानूनों में संशोधन किया

आंध्र प्रदेश ने सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल घटा दिया।[131,132,133,134,135] ये निम्नलिखित आयोगों के कार्यकाल हैं: (i) राज्य अल्पसंख्यक आयोग, (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, (iii) अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग, और (iv) अनुसूचित जाति के लिए राज्य आयोग। इन आयोगों के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया गया है।

असम ने आयोग में एक सामाजिक वैज्ञानिक की शर्त को हटाने के लिए असम पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट, 1993 में संशोधन किया।[136] पिछड़े वर्गों की सूची की नियमित 10-वर्षीय समीक्षा का प्रावधान भी हटा दिया गया। तेलंगाना ने जैनियों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक्ट, 1998 में संशोधन किया।[137] इस एक्ट के तहत अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य समुदाय हैं (i) बौद्ध; (ii) ईसाई, (iii) मुस्लिम, (iv) सिख, और (v) पारसी।

बिहार ने शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया

तालिका 4: बिहार में आरक्षण में परिवर्तन

श्रेणी	संशोधन से पहले का %	संशोधन के बाद का %
अनुसूचित जाति	16	20
अनुसूचित जनजाति	1	2
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18	25
पिछड़ा वर्ग	12	18
सभी आरक्षित वर्ग की महिलाएं	3	-
कुल	**50**	**65**

स्रोतः बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) आरक्षण (संशोधन) एक्ट, 2023; पीआरएस।

बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश) आरक्षण (संशोधन) एक्ट, 2023 ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी (तालिका 4)। ऐसा करते हुए उसने सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षण को निरस्त कर दिया। इस एक्ट के प्रावधान सभी स्तरों पर और राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर लागू होते हैं।[138] सरकारी पदों में रिक्तियों को उसी अनुपात में आरक्षित करने के लिए ऐसा ही एक संशोधन पारित किया गया, जैसे कि तालिका 4 में प्रदर्शित है।[139]

हिमाचल प्रदेश ने बच्चों की देखभाल और कल्याण के लिए बिल पारित किया

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता) बिल, 2023 बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए बाल देखभाल संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है।[140] राज्य सरकार उन अनाथ बच्चों को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करेगी जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और जो 18 से 27 वर्ष के बीच के हैं और बेरोजगार हैं। सरकार इन बच्चों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग प्रदान करेगी। 101 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ सुखाश्रय कोष नामक एक कोष स्थापित किया जाएगा। इस फंड पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग उन बच्चों और अनाथ बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किया जाएगा। हरेक जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा जो आफ्टरकेयर संस्थानों में अनाथ बच्चों के प्रवेश और मुक्ति का काम करेगी।

स्थानीय प्रशासन

राज्यों ने अनाधिकृत विकास को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए; छत्तीसगढ़ ने शहरी बेघरों के लिए बिल पारित किया

कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनाधिकृत विकास को रेगुलेट करने का प्रावधान करते हैं। छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात ने अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण पर अपने कानूनों में संशोधन पारित किया।[141,142,143] गोवा ने आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने का समय बढ़ाने हेतु 2023 में तीन बार कानून में संशोधन किया। इनमें से दो संशोधनों ने उस समय और प्रारंभ तिथि को बढ़ा दिया है जिससे नियमितीकरण के लिए आवेदन दायर किए जा सकते हैं। गुजरात के संशोधन ने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह अधिसूचना के जरिए अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदन दायर करने की अवधि बढ़ा सकती है। एक्ट के तहत फरवरी 2023 तक आवेदन दाखिल करने का प्रावधान था। चूंकि दिल्ली का शहरी विकास संघ सूची में आता है, इसलिए संसद ने दिसंबर 2026 तक अनाधिकृत विकास और अतिक्रमण के लिए सुरक्षा बढ़ाने वाला एक कानून पारित किया।[144]

छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों के बेघर व्यक्तियों को पट्टा अधिकार एक्ट, 2023 शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को पट्टे का अधिकार प्रदान करता है।[145] जिन लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उन्हें वहां से हटाकर अन्यत्र पट्टे का अधिकार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार पट्टा अधिकार का मतलब है, सरकार द्वारा प्रदान किए गए पट्टा अधिकार। किसी संरचना की सलामती और सुरक्षा के आधार पर कोई अधिकारी किसी भी घर या झुग्गी-झोपड़ी को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए जिला कलेक्टर को अनुरोध कर सकता है। यह 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष तक की पारिवारिक आय वाले ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है या उसे सरकारी भूमि आवंटित नहीं की गई है।

हरियाणा ने अपने शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में संशोधन किया

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) एक्ट, 2023 में नगर निगमों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[146] हरियाणा नगर निगम एक्ट, 1994 के तहत निगम में दो सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं। बिल एक नया मानदंड 'पिछड़ा वर्ग ए' बनाता है जो पिछड़े वर्गों का एक उपसमूह है। प्रत्येक नगर निगम में पिछड़ा वर्ग 'ए' के लिए आरक्षण निगम की कुल जनसंख्या से पिछड़ा वर्ग 'ए' की जनसंख्या का आधा अनुपात होगा। इसके अलावा कम से कम एक तिहाई सीटें पिछड़े वर्ग 'ए' की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण हरियाणा परिवार पहचान एक्ट, 2021 के तहत स्थापित पारिवारिक सूचना डेटा रेपिजिटरी पर आधारित होगा। हरियाणा नगर निगम एक्ट, 1994 ने आरक्षण निर्धारित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को अनिवार्य किया है। नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों की सीटें आरक्षित करने के लिए एक समान संशोधन पारित किया गया था।[147]

कई राज्यों ने विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कानून बनाए

असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान ने राज्य के विभिन्न शहरों या क्षेत्रों के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित करने के संबंध में कानून बनाए हैं।[148, 149, 150, 151, 152, 153]

तालिका 5: विभिन्न राज्यों द्वारा पारित विकास प्राधिकरणों से संबंधित बिल्स की विशेषताएं

राज्य	शहर/दायरे में आने वाले क्षेत्र	विशेषताएं
गोवा	मोपा	मोपा हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण में मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल हैं। प्राधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों का आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होता है।
गुजरात	देवस्थान क्षेत्र	देवस्थान क्षेत्रों को रेगुलेट और विकसित करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। ये राज्य भर में निर्दिष्ट मंदिर ट्रस्टों के आसपास के क्षेत्र हैं। प्राधिकरण को इन क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने का अधिकार है।
हरियाणा	सोनीपत	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। एसएमडीए सोनीपत क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, गतिशीलता प्रबंधन और शहरी पर्यावरण के सतत प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार करेगा।
राजस्थान	कोटा, उदयपुर	कोटा और उदयपुर के लिए विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इन प्राधिकरणों के कार्यों में एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करना और विकास परियोजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है।

स्रोत: राज्यों के संबंधित बिल; पीआरएस।

बिहार ने खंड विकास अधिकारियों को पंचायत कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु कानून में संशोधन किया

बिहार पंचायत राज एक्ट, 2006 में प्रावधान है कि पंचायत समितियों के कार्यकारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर या उच्चतर रैंक के होंगे।[154] 2023 के संशोधन ने इस प्रावधान को बदल दिया, जिससे ब्लॉक विकास अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सके।

नागालैंड ने नगरपालिका प्रशासन के लिए कानून बनाया

यह कानून नागालैंड में नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर परिषदों की स्थापना करता है।[155] यह चुनाव प्रक्रिया, कार्य संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन और कुछ अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। नगर पालिकाओं और परिषदों को हर वर्ष एक बजट पेश करना होगा। कानून नगर परिषदों और नगर परिषदों की सभी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए एक नगर निगम निधि बनाने का भी आदेश देता है। यह महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। बिल को नागालैंड विधानसभा की एक चयन समिति को भेजा गया था।

विधायिका

राज्यों ने विधायकों के लिए लाभ बढ़ाने हेतु कानून पारित किए

छत्तीसगढ़ और गोवा ने अपने विधायकों की पेंशन और भत्ते बढ़ाने के लिए अपने कानूनों में संशोधन किया।[156,157] इसी तरह उत्तर प्रदेश ने दोनों सदनों के पूर्व सदस्यों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की।[158] तमिलनाडु ने 15 अगस्त, 1947 से विधानसभा के सदस्य रहे प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया।[159] मेघालय विधानसभा के सदस्यों को पेंशन पात्रता के लिए न्यूनतम 2 वर्ष और 6 महीने की सेवा आवश्यक थी। यह शर्त हटा दी गई क्योंकि कई बार चुनाव समय से पहले हो जाते हैं। इसके कारण सदस्य अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में वे अपनी पेंशन के 50% के लिए पात्र होंगे।[160]

पश्चिम बंगाल ने वेतन और भत्ता एक्ट, 1952 में संशोधन किया।[161] उपमुख्यमंत्री का वेतन 11,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है।[162] मंत्री और उपमंत्री का वेतन 10,900 रुपए से बढ़ाकर 50,900 रुपए कर दिया गया है। अध्यक्ष का वेतन 16,000 रुपए से बढ़ाकर 56,000 रुपए कर दिया गया है। उपाध्यक्ष का वेतन 10,900 रुपए से बढ़ाकर 50,900 रुपए कर दिया गया है। विपक्ष के नेता का वेतन 11,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है।

पंजाब ने सरकारी मुख्य सचेतक को कैबिनेट मंत्रियों के समान वेतन और भत्ते प्रदान करने के लिए एक बिल पारित किया।[163] हालांकि कैबिनेट मंत्री के विपरीत, राज्य न तो मुख्य सचेतक की आयकर देनदारियों को वहन करेगा और न ही वे विवेकाधीन अनुदान के हकदार होंगे। सरकारी मुख्य सचेतक सरकार के संसदीय स्वरूप में एक राजनीतिक नियुक्ति है। वे सदन में सरकार के कामकाज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं और सदन के नेता और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) एक्ट, 1956 ने लाभ के कुछ पदों के धारकों को कर्नाटक विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने के योग्य घोषित किया। इनमें सभापति, अध्यक्ष, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव समेत अन्य पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार के पद, या नई दिल्ली में कर्नाटक राज्य के विशेष प्रतिनिधि के पद को शामिल करने के लिए इस कानून में संशोधन किया गया है।[164]

स्रोत और कार्य पद्धति

स्रोत

यह रिपोर्ट 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें छह प्रकार के स्रोतों से आंकड़ों को जमा किया गया है: (i) विधानसभा सत्रों के रेस्यूम्स या सिनॉप्सिस, जो आम तौर पर एक सत्र की समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद प्रकाशित किए जाते हैं, और सत्र की सभी गतिविधियों का विवरण प्रदान करते हैं; (ii) बैठक-वार कार्य-सूची बुलेटिन (संचालित कार्य का सारांश), और कार्यवाही; (iii) राज्य विधानमंडल की वेबसाइट्स पर उपलब्ध सारांश दस्तावेज; (iv) सूचना के अधिकार संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया; (v) राज्य के राजपत्र (गजट) के प्रकाशन; और (vi) राज्य विधानमंडल के अनुसंधान अधिकारियों या सचिवालय के साथ सीधे संवाद के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज। प्रत्येक डेटा प्वाइंट को विभिन्न स्रोतों से सत्यापित किया गया है।

कार्य पद्धति

'बैठक के दिन' को उन कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जब किसी सदन का सत्र होता है। अगर किसी सदन में एक दिन दो बैठकें होती हैं तो उसे एक बैठक के दिन के रूप में गिना गया है। रेखाचित्र 5 में जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है, वहां पहले के वर्षों के बैठकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

बजट सत्रों को ऐसे सत्रों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जब वार्षिक बजट पेश किया जाता है। आमतौर पर राज्यों में एक वर्ष में एक बजट सत्र होता है। हालांकि कुछ राज्यों ने एक सत्र में लेखानुदान (वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की स्वीकृति) और अगले सत्र में पूर्ण बजट पारित किया। इन राज्यों के लिए जिस सत्र में पूर्ण बजट पारित किया गया, उसे बजट सत्र माना गया है।

बैठक के दिन इस बात की कोई जानकारी नहीं देते कि विधानसभाओं ने प्रत्येक दिन कितने समय तक काम किया। विधायिका की बैठक की औसत अवधि सांख्यिकीय विवरणों से संकलित की गई है, या उनकी गणना दैनिक बुलेटिनों या पूरी कार्यवाही से की गई है। रेखाचित्र 3 और रेखाचित्र 4 में उल्लिखित राज्यों के लिए बैठकों में लगने वाले समय की गणना नहीं की जा सकती है।

पारित होने वाले बिल की कुल संख्या सत्र के रेज्यूमेज़ और बुलेटिन्स के जरिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक बिल और एक्ट को तिथि अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। इस क्रम को कमियों, अगर कोई है, की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सभी राज्य अपने-अपने बिल और एक्ट की नंबरिंग अलग-अलग तरह से करते हैं और कुछ राज्यों के बिल और एक्ट की प्रतियां नहीं मिल पाई हैं। इस विश्लेषण में एप्रोप्रिएशन बिल्स और फाइनांस बिल्स पर विचार नहीं किया गया है और इसमें सिर्फ ऐसे बिल शामिल हैं जो 2023 में विधानमंडल द्वारा पारित किए गए।

बिल को पेश करने, उसे पारित करने और मंजूरी मिलने की तारीखों के आधार पर इस बात का विश्लेषण किया गया है कि किसी बिल को पारित करने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 17) और राज्यपाल की मंजूरी मिलने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 18)। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी मौजूद है, वहां बिल को पेश करने की तारीख वह है जब उसे पहले सदन में पेश किया गया। उसे पारित करने की तारीख वह तारीख है, जब बिल को दूसरे सदन में पारित किया गया। लेकिन ऐसा उन छह में से सिर्फ पांच विधानमंडलों के लिए किया जा सका है, जहां द्विसदनीय विधानमंडल हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कामकाज का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए वहां विधानसभा में बिल के पेश और पारित होने वाली तारीखों पर ही विचार किया गया है।

जहां तक बैठक के दिनों का मुद्दा है, वहां किसी बिल को पेश करने और पारित होने के बीच का अंतराल इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि उस पर विधायी समीक्षा की गुणवत्ता क्या थी। इसे अन्य संकेतकों के जरिए मापा जा सकता है, जैसे सदन में बिल पर चर्चा में लगने वाला समय, बिल पर बहस का विवरण, और समितियों ने बिल्स की जांच कैसे की है, इसकी जानकारी। हालांकि संसद से अलग, अधिकतर राज्य पूरी कार्यवाही या बिल पर बहस की विस्तृत सूचना प्रकाशित नहीं करते। केरल में सत्र के रेज्यूमेज़ में संशोधन प्रस्तावों की संख्या सहित बहस पर

जानकारियां जारी की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा जैसे अन्य राज्यों में इन विवरणों को सदन की कार्यवाहियों से हटा दिया जाता है।

कुछ राज्य अपने विधानमंडल में गठित समितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट में समिति से संबंधित सभी आंकड़े या तो विधानसभा वेबसाइट्स पर दर्ज वक्तव्यों के माध्यम से, या आरटीआई के जरिए से प्राप्त किए गए हैं।

उपरोक्त स्रोतों के समान स्रोतों से ही बजट संबंधी आंकड़े भी प्राप्त किए गए। पारित होने वाले बजट के आकार से संबंधित आंकड़े राज्य बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए हैं। जबकि बजट पेश करने और उन पर चर्चा की तारीखें आसानी से उपलब्ध थीं, लेकिन अधिकतर राज्यों के संबंध में यह जानकारी नहीं मिली कि वहां बजट पर कितने समय तक चर्चा हुई। अधिकतर राज्यों के संबंध में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सदन में मंत्रालयी बजट की मांगों की संख्या और गिलोटिन (बिना मतदान के पारित) की संख्या कितनी है। हालांकि, ये संकेतक राज्य विधानमंडल के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

डेटा एकत्र करने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य चुनौती यह है कि राज्य विधानमंडलों के डेटा प्रकाशित करने के तरीकों में बहुत विसंगतियां हैं। कुछ राज्य अपनी वेबसाइट्स या नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (यह सभी विधानमंडलों के बारे में जानकारियां जमा करने की एक केंद्रीय पहल है) को नियमित रूप से अपडेट नहीं करते। यहां हमने जिन संकेतकों को चुना है, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में उनसे संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी दस्तावेजों में भी विसंगतियां पाई गईं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में समय लगा। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज उपलब्ध थे जिससे डेटा को एकत्र करने और उसे सत्यापित करने में कठिनाइयां बढ़ीं।

अनुलग्नक 1: 2023 में राज्य कानूनों की सूची

इस सूची में 2023 में अधिनियमित राज्य कानून दिए गए हैं। ये राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स और राज्य के राजपत्रों में उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2023
2. The Andhra Pradesh Para Veterinary and Allied Council Act, 2023
3. The Andhra Pradesh Dotted Lands (Updation in Re-settlement Register) (Amendment) Act, 2023
4. The Andhra Pradesh Rights in Land and Pattadar Pass Books (Amendment) Act, 2023
5. The Andhra Pradesh Education (Amendment) Act, 2023
6. The Andhra Pradesh Public Libraries (Amendment) Act, 2023
7. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Act, 2023
8. The Andhra Pradesh State Minorities Commission (Amendment) Act, 2023
9. The Registration (Andhra Pradesh Amendment) Act, 2023
10. The Andhra Pradesh Excise (Amendment) Act, 2023
11. The Andhra Pradesh Prohibition (Amendment) Act, 2023
12. The Andhra Pradesh Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2023
13. The Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State of Andhra Pradesh (Amendment) Act, 2023
14. The Andhra Pradesh Milk Procurement (Protection of Farmers) and Enforcement of Safety of Milk Standards Act, 2023
15. The Andhra Pradesh Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) (Amendment) Act, 2023
16. The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Castes (Amendment) Act, 2023
17. The Andhra Pradesh Public Services Delivery Guarantee (Amendment) Act, 2023
18. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Act, 2023
19. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Second Amendment) Act, 2023

20. The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Tribes (Amendment) Act, 2023
21. The Andhra Pradesh Women's Commission (Amendment) Act, 2023
22. The Andhra Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023
23. The Andhra Pradesh Grama Sachivalayams and Ward Sachivalayams (GSWS) Act, 2023
24. The Andhra Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2023
25. The Andhra Pradesh Special Security Group Act, 2023
26. The Andhra Pradesh Vaidya Vidhana Parishad (Repeal) Act, 2023
27. The Andhra Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2023
28. The Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (Absorption of Employees into Government Service) (Amendment) Act, 2023
29. The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2023
30. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2023
31. The Andhra Pradesh Public Service Commission (Entrustment of Additional Functions with respect to the Services of Universities) (Amendment) Act, 2023
32. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
33. The Andhra Pradesh (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalisation of Staff Pattern and Pay Structure) (Amendment) Act, 2023
34. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Act, 2023
35. The Andhra Pradesh Bhoodan and Gramdan (Amendment) Act, 2023
36. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Act, 2023
37. The Andhra Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2023
38. The Andhra Pradesh Regularisation of Services of Contract Employees Act, 2023
39. The Andhra Pradesh Guaranteed Pension System Act, 2023
40. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023

अरुणाचल प्रदेश

1. The Assam Frontier (Administration of Justice) Regulation (Amendment) Act, 2023
2. The Arunachal Pradesh Protection of Drinking Water Catchment Areas Act, 2023
3. The Arunachal Pradesh Goods Tax (Amendment) Act, 2023
4. The Arunachal Pradesh Court Fees Act, 2023
5. The Arunachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
6. The Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Act, 2023

असम

1. The Assam College Employees (Provincialisation) (Amendment) Act, 2023
2. The Assam Science and Technology University (Amendment) Act, 2023
3. The Assam Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2023
4. The Assam Elementary and Secondary School Teachers' (Regulation of Posting and Transfer) (Amendment) Act, 2023
5. The Assam Goods & Services Tax (Amendment) Act, 2023
6. The Assam Micro-Finance Institutions (Regulation of Money Lending) (Amendment) Act, 2023
7. The Assam Mobility of Employees of State Government and other Establishment (for Optimum Utilization of Available Manpower for Efficiency) Act, 2023
8. The Assam Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2023
9. The Assam Panchayat (Amendment) Act, 2023
10. The Assam Public Safety (Measures) Enforcement (Amendment) Act, 2023
11. The Madhabdev University (Amendment) Act, 2023
12. The Bongaigaon University Act, 2023
13. The Kumar Bhaskar Varma Sanskrit and Ancient Studies University (Amendment) Act, 2023
14. The Sibsagar University Act, 2023
15. The Gurucharan University Act, 2023

16. The North Lakhimpur University Act, 2023
17. The Nagaon University Act, 2023
18. The Gauhati University (Amendment) Act, 2023
19. The Bodoland University (Amendment) Act, 2023
20. The Assam Women's University (Amendment) Act, 2023
21. The Cotton University (Amendment) Act, 2023
22. The Assam Science and Technology University (Amendment) Act, 2023
23. The Assam Repealing Act, 2023
24. The Jagannath Barooah University Act, 2023
25. The Assam Electricity Control (Emergency Powers) (Repealing) Act, 2023
26. The Assam Tea Plantations Provident Fund and Pension And Deposit Linked Insurance Fund Scheme (Amendment) Act, 2023
27. The Assam Gratuity (Amendment) Act, 2023
28. The Guwahati Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2023
29. The Assam Backward Classes Commission (Amendment) Act, 2023
30. The Assam State Commission for Safai Karamcharis Act, 2023

बिहार

1. The Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023
2. The Bihar State Infrastructure Development Enabling (Amendment) Act, 2023
3. The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
4. The Bihar Secretariat Service (Amendment) Act, 2023
5. The Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023
6. The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2023
7. The Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 2023
8. The Bihar (Admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Act, 2023

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Gambling (Prohibition) Act, 2022
2. The Chhattisgarh Regularization of Unauthorized Development (Amendment) Act, 2023
3. The Chhattisgarh Municipal (Amendment) Act, 2023
4. The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023
5. The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Salary, Allowance and Pension (Amendment) Act, 2023
6. The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023
7. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
8. The Chhattisgarh Leasehold Rights to the Homeless Person of Urban Areas Act, 2023
9. The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023
10. The Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2023
11. The Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2023
12. The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Disqualification Prevention (Amendment) Act, 2023

दिल्ली

1. The Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
2. The Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023

गोवा

1. The Goa Town and Country Planning (Amendment) Act, 2023
2. The Goa (Regulation of Land Development and Building Construction) (Amendment) Act, 2023

3. The Goa Municipalities (Amendment) Act, 2023
4. The Goa Private Universities (Amendment) Act, 2023
5. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Act, 2023
6. The Goa Value Added Tax (Amendment) Act, 2023
7. The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 2023
8. The Indian Stamp (Goa Amendment) Act, 2023
9. The Goa Regularization of Unauthorized Construction (Amendment) Act, 2023
10. The Goa (Mopa Airport Development Authority) (Amendment) Act, 2023
11. The Goa Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023
12. The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Amendment) Act, 2023
13. The Goa Legislative Diploma No 2070 dated 15-4-1961 (Amendment) Act, 2023
14. The Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act, 2023
15. The Goa Municipalities (Amendment) Act, 2023
16. The Goa Town and Country Planning (Second Amendment)Act, 2023
17. The Goa Succession Special Notaries & Inventory Proceeding (Amendment) Act, 2023
18. The Goa Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2023
19. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
20. The Goa Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2023
21. The Goa (Recovery of Arrears of Tax, Interest, Penalty, Other Dues through Settlement) Act, 2023
22. The Indian Stamp (Goa Second Amendment) Act, 2023
23. The Goa Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2023
24. The Goa Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Category (Regulation of Issuance and Verification of Caste Certificate) Act, 2023
25. The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Third Amendment) Act, 2023
26. The Goa Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 2023
27. The Goa Public Records Act, 2023
28. The Goa Ancient and Historical Records, Acquisition and Preservation Act, 2023
29. The Goa Non-Biodegradable Garbage (Control) (Amendment) Act, 2023
30. The Goa Waste Management (Amendment) Act, 2023
31. The Goa Information Technology Development (Amendment) Act, 2023
32. The Goa Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Amendment) Act, 2023

गुजरात

1. The Gujarat Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2023
2. The Gujarat Regularisation of Unauthorised Development (Amendment) Act, 2023
3. The Gujarat Compulsory Teaching and Learning of Gujarati Language Act, 2023
4. The Gujarat Private Universities (Amendment) Act, 2023
5. The Gujarat Taxation Laws (Amendment) Act, 2023
6. The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
7. The Champaner-Pavagadh Archaeological Park World Heritage Area Management Authority (Repeal) Act, 2023
8. The Children's University (Amendment) Act, 2023
9. The Gujarat Private Universities (Second Amendment) Act, 2023
10. The Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act, 2023
11. The Gujarat Natural Farming and Organic Agricultural University (Amendment) Act, 2023
12. The Gujarat Public Universities Act, 2023
13. The Gujarat Agricultural Produce and Marketing (Promotion and Facilitation) (Amendment) Act, 2023

हरियाणा

1. Pandit Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Act, 2023
2. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2023
3. The Haryana School Education (Amendment) Act, 2023
4. The Sonipat Metropolitan Development Authority Act, 2023
5. The Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023
6. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023
7. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Act, 2023
8. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
9. The Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Act, 2023
10. The Haryana Juvenile Smoking Repeal Act, 2023
11. The Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Act, 2023
12. The Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2023

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023
2. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
3. The Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023
4. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023
5. The Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2023
6. The Himachal Pradesh Repealing Act, 2023
7. The Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2023
8. The Himachal Pradesh (Taxation on Carriage of Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2023
9. The Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2023
10. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023
11. The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2023
12. The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2023
13. The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2023
14. The Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation (Amendment) Act, 2023
15. The Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023

झारखंड

1. The Durga Soren University Act, 2023
2. The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) (Amendment) Act, 2023
3. The Jharkhand Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2023
4. The Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023
5. The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
6. The Pragyan International University (Repeal) Act, 2023

कर्नाटक

1. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Amendment) Act, 2023
2. The Factories (Karnataka Amendment) Act, 2023
3. The BMS University Act, 2023
4. The Karnataka Tax on Profession, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2023
5. The Karnataka Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2023
6. The Karnataka Fire Force (Amendment) Act, 2023
7. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Act, 2023

8. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
9. The Karnataka State Road Safety Authority (Amendment) Act, 2023
10. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2023
11. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2023
12. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023
13. The Code of Civil Procedure (Karnataka Amendment) Act, 2023
14. The Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023
15. The Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prohibition of Transfer of Certain Lands) (Amendment) Act, 2023
16. The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Act, 2023
17. The Karnataka Compulsory Service by Candidates Completed Medical Courses (Amendment) Act, 2023
18. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023
19. The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2023
20. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2023
21. Shree Renuka Yellamma Kshetra Tourism Development Board Act, 2023
22. The Karnataka Scheduled Castes sub-allocation and Tribal sub-allocation (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) (Amendment) Act, 2023

केरल

1. The Kerala Municipality (Amendment) Act, 2022
2. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Act, 2022
3. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Amendment Act, 2023
4. The Kerala Medical Education (Regulation and Control of Admission to Private Medical Educational Institutions) Amendment Act, 2023
5. The Indian Partnership (Kerala Amendment) Act, 2023
6. The Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment Act, 2023
7. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions As Respects Certain Corporations And Companies) Second Amendment Act, 2023
8. The Kerala Taxation Laws (Amendment) Act, 2023
9. The Sree Pandaravaka Lands (Vesting and Enfranchisement) Amendment Act, 2023
10. The Kerala Motor Transport Workers' Payment of Fair Wages (Amendment) Act, 2023
11. The Kerala Livestock Feed, Poultry Feed and Mineral Compounds (Manufacturing, Storage, Distribution, Sale, Control and Quality Assurance) Act, 2023
12. The Kerala Public Health Act, 2021

मध्य प्रदेश

1. The Madhya Pradesh Municipality Laws (Amendment) Act, 2023
2. The Madhya Pradesh Landless Persons of Madhya Pradesh Urban Areas (Grant of Leasehold Rights) Amendment Act, 2023
3. The Madhya Pradesh Establishment and Operation of Industries Simplification Act, 2023
4. The Gwalior Trade Fair Authority (Amendment) Act, 2023
5. Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Madhya Pradesh Amendment Act, 2023
6. The Madhya Pradesh Profession Tax (Amendment) Act, 2023
7. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
8. The Madhya Pradesh Investment Facilitation (Amendment) Act, 2023
9. The Madhya Pradesh Medical University (Amendment) Act, 2023
10. The Madhya Pradesh Private University (Establishment and Operation) Amendment Act, 2023

महाराष्ट्र

1. The Mumbai Municipal Corporation and Maharashtra Municipal Corporations (Amendment) Act, 2023
2. The Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Act, 2023
3. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University and Maharashtra COEP Technological University (Amendment) Act, 2023

4. The Maharashtra Medical Goods Procurement Authority Act, 2023
5. The Maharashtra Police (Amendment) Act, 2023
6. The Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023
7. The Pandharpur Temples (Amendment) Act, 2023
8. The Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures (Amendment) Act, 2023
9. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023
10. The Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee Act, 2023
11. The Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2023
12. The Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions and Fees) (Amendment) Act, 2023
13. The Maharashtra State Board of Technical Education (Amendment) Act, 2023
14. The Maharashtra Goseva Ayog Act, 2023
15. The Maharashtra Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Act, 2023
16. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Act, 2023
17. The Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Act, 2023
18. The Maharashtra Temporary Extension of Period for Submitting Validity Certificate (for certain elections to Village Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samitis) Act, 2023
19. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
20. The Maharashtra Animal and Fishery Sciences University (Amendment) Act, 2023
21. The Maharashtra Payment of Compensation for Loss, Injury or Damage Caused by Wild Animals Act, 2023
22. The Maharashtra Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 2023
23. The Maharashtra Municipal Corporation of the City of Pune Taxation (Enactment and Amendment of Taxation Rules with retrospective effect and Validation) Act, 2023
24. The Maharashtra (Urban Areas) Protection and Preservation of Trees (Amendment) Act, 2023
25. The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) (Amendment, Re-enactment of Rules and Notification of Apex and other Grievance Redressal Committees and Validation) Act, 2023
26. The Bombay City Civil Court (Amendment) Act, 2023
27. The Laxminarayan Innovation Technological (LIT) University, Nagpur Act, 2023
28. The Maharashtra Casinos (Control and Tax) (Repeal) Act, 2023
29. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Act, 2023
30. The Maharashtra Apartment Ownership (Amendment) Act, 2023
31. The Maharashtra Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023
32. The Maharashtra Bovine Breeding (Regulation) Act, 2023
33. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 2023
34. The Maharashtra International Sports University (Amendment) Act, 2023
35. The Maharashtra Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2023
36. The G. H. Raisoni International Skill Tech University, Pune Act, 2023
37. The G. H. Raisoni Skill Tech University, Nagpur Act, 2023
38. The Maharashtra Marathi Bhasha Vidyapeeth Act, 2023
40. The Maharashtra State Board of Art Education Act, 2023
41. The Maharashtra Electricity Duty (Amendment) Act, 2023
42. The Universal Skilltech University, Vasai Act, 2023
43. The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) (Second Amendment) Act, 2023
44. The MIT Vishwaprayag University, Solapur, Act, 2023
45. The DES Pune University, Pune Act, 2023

मेघालय

1. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Act, 2023
2. The Meghalaya Regulation of Gaming (Repeal) Act, 2023
3. The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
4. The Meghalaya Lokayukta (Amendment) Act, 2023

5. The Legislative Assembly of Meghalaya (Member's Pension) (Amendment) Act, 2023
6. The Rajitlal University (Repealing) Act, 2023
7. The Meghalaya Medical Council (Amendment) Act, 2023
8. The National Law University of Meghalaya (Amendment) Act, 2023
9. The Captain Williamson Sangma Technical University (Amendment) Act, 2023

मिजोरम

1. The Mizoram (Restriction on use of Transferred Lands) (Amendment) Act, 2023
2. Indian Stamp (Mizoram Amendment) Act, 2023
3. The Mizoram Scheduled Tribes and Scheduled Castes (Regulation of Issuance and Verification of) Community Certificates (Amendment) Act, 2023
4. The Sinlung Hills Council (Amendment) Bill, 2023
5. The Mizoram Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
6. The Mizoram Shops & Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2023
7. The Mizoram Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Act, 2023
8. The Mizoram (Protection of Rivers) Act, 2023
9. The Mizoram Ground Water (Control and Regulation) Act, 2023
10. The Mizoram Municipalities (Amendment) Act, 2023

नागालैंड

1. The Nagaland Goods And Services Tax (Sixth Amendment) Act, 2022
2. The Nagaland Fire & Emergency Services Act, 2021
3. The Nagaland Municipal Act, 2023
4. North East Christian University (Second Amendment) Act, 2023
5. The Nagaland Passengers & Goods Taxation (Amendment) Act, 2023
6. The Nagaland Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2023
7. The Nagaland Goods And Services Tax (Seventh Amendment) Act, 2023

ओड़िशा

1. The Odisha Municipal Laws (Amendment) Act, 2023
2. The Odisha Pani Panchayat (Amendment) Act, 2023
3. The Silicon University, Odisha Act, 2023
4. The NIST University, Odisha Act, 2023
5. The Odisha Land Reforms (Amendment) Act, 2023
6. The Odisha Reservation of Vacancies in Posts and Services (For Scheduled Castes and Scheduled Tribes)(Amendment) Act, 2023
7. The Odisha Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
8. The Odisha Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation of Land (Amendment) Act, 2023
9. The Odisha State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2023
10. The Odisha Apartment (Ownership and Management) Act, 2023
11. The Odisha Land Reforms (Second Amendment) Act, 2023

पंजाब

1. The Punjab State Commission for Scheduled Castes (Amendment) Act, 2023
2. The Salaries and Allowances of Chief Whip in Punjab Legislative Assembly Act, 2023
3. The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2023
4. The Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Act, 2023
5. The Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
6. The Punjab Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023
7. The Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 2023

8. The Punjab Canal and Drainage Act, 2023

पुदुचेरी

1. The Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2023
2. The Puducherry Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023

राजस्थान

1. The Baba Amte Divyang University, Jaipur Act, 2023
2. The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2023
3. The Jai Minesh Adivasi University, Ranpur (Kota) Act, 2023
4. The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023
5. The Rajiv Gandhi Fintech Digital Institute Act, 2023
6. The Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2023
7. The Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) (Amendment) Act, 2023
8. The Rajasthan Laws Repealing Act, 2023
9. The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) (Amendment) Act, 2023
10. The Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023
11. The Rajasthan Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2023
12. The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur (Change of Name and Amendment) Act, 2023
13. The Kota Development Authority Act, 2023
14. The Udaipur Development Authority Act, 2023
15. The Marwar Medical University Act, 2023
16. The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
17. The Rajasthan Minimum Guaranteed Income Act, 2023
18. The Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Jobner) Jaipur Act, 2023
19. The Gandhi Vatika Trust, Jaipur Act, 2023
20. The Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, 2023
21. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2023
22. The Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission Act, 2023
23. The Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur Act, 2023
24. The Nathdwara Temple (Amendment) Act, 2023
25. Shri Sanwaliaji Temple (Amendment) Act, 2022
26. The Rajasthan Right to Health Act, 2022

सिक्किम

1. The Sikkim Lokayukta (Amendment) Act, 2023
2. The Sikkim Fire and Emergency Services, Act 2023
3. The Sikkim Non-Biodegradable Garbage (Control) (Repealing) Act, 2023
4. The Sikkim Law University (Amendment) Act, 2023
5. The Sikkim Global Technical University Act, 2023
6. The Sikkim Organic Agriculture University Act, 2023

तमिलनाडु

1. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Amendment Act, 2023
2. The Tamil Nadu Repealing Act, 2023
3. The Tamil Nadu Building and Construction Workers (Conditions of Employment and Miscellaneous Provisions) Repeal Act, 2023
4. The Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Amendment Act, 2023
5. The Chennai City Police (Amendment) Act, 2023

6. The Tamil Nadu Shops and Establishments (Amendment) Act, 2023
7. The Indian Stamp (Tamil Nadu Amendment) Act, 2023
8. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Amendment) Amendment Act, 2023
9. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
10. The Tamil Nadu Repealing (Second) Act, 2023
11. The Tamil Nadu Town and Country Planning (Third Amendment) Act, 2023
12. The Tamil Nadu Shops and Establishments (Amendment) Amendment Act, 2023
13. The Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2023
14. The Tamil Nadu Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2023
15. The Tamil Nadu Transparency in Tenders (Amendment) Act, 2023
16. The Tamil Nadu Land Consolidation (for Special Projects) Act, 2023
17. The Tamil Nadu Repealing (Third) Act, 2023
18. The Tamil Nadu Payment of Salaries (Amendment) Act, 2023
19. The Tamil Nadu Prohibition (Amendment) Act, 2023
20. The Tamil Nadu Taxes (Settlement of Arrears) Act, 2023
21. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023
22. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Second Amendment Act, 2023
23. The Tamil Nadu Protected Agricultural Zone Development (Amendment) Act, 2023
24. The Tamil Nadu Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2023

तेलंगाना

1. The Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (Amendment) Act, 2023
2. The Telangana Municipalities (Amendment) Act, 2023
3. The Telangana State Road Transport Corporation (Absorption of Employees into Government Service) Act, 2023

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Molasses Control (Amendment) Act, 2023
2. The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2023
3. The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2023
4. The Uttar Pradesh Municipal Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2023
5. The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2023
6. The Uttar Pradesh Agricultural Produce Market (Amendment) Act, 2023
7. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2023
8. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2023
9. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act, 2023
10. The Uttar Pradesh National Law University Prayagraj (Amendment) Act, 2023
11. The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2023
12. The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Act, 2023
13. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
14. The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023
15. The Uttar Pradesh Agriculture and Technology University (Amendment) Act, 2023
16. The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Second Sanshodhan) Act, 2023
17. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023
18. The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2023
19. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2023
20. The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023
21. The Uttar Pradesh Shree Ayodhya Jee Teerth Vikas Parishad Act, 2023
22. The Uttar Pradesh Shree Devipatan Dham Teerth Vikas Parishad Act, 2023

23. The Uttar Pradesh Shree Shuk Teerth Vikas Parishad Act, 2023

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2022
2. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2022
3. The Uttarakhand Fisheries Act (Amendment) Act, 2022
4. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Act, 2022
5. The Uttarakhand Co-operative Society (Amendment) Act, 2022
6. The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023
7. The Uttarakhand Right to Service (Amendment) Act, 2023
8. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Settlement Act, 1950) (Amendment) Act, 2022
9. The Government Grants Act, 1895 (Uttarakhand Amendment) Act, 2023
10. The Uttarakhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023
11. The University of Engineering and Technology Roorkee (Amendment) Act, 2023
12. The Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022
13. The Haridwar University Act, 2022
14. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2023
15. The Uttarakhand Martyr Dependent Ex-gratia Grant (Amendment) Act, 2023
16. The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
17. The Uttarakhand (United Provinces Rakshak Dal Act, 1948) (Amendment) Act, 2023
18. The Uttarakhand Road Infrastructure Protection (Amendment) Act, 2023
19. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974) (Amendment) Act, 2023
20. The Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023
21. The Uttarakhand Investment and Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2023
22. The Uttarakhand Repeal Act, 2023

पश्चिम बंगाल

1. The West Bengal Agricultural Income-tax (Notices) (Repealing) Act, 2023
2. The West Bengal Lokayukta (Amendment) Act, 2023
3. The West Bengal Maintenance of Public Order (Amendment) Act, 2023
4. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 2023
5. The West Bengal Land Laws (Repealing) Act, 2023
6. The Bengal Orphanages and Widows' Homes (Repealing) Act, 2023
7. The West Bengal Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023
8. The West Bengal Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2023
9. The West Bengal Land Laws (Second Repealing) Act, 2023
10. The Bengal Alluvial Lands (Repealing) Act, 2023
11. The Kolkata Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023
12. The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 2023
13. The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Act, 2023
14. The West Bengal Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023

अनुलग्नक 2: 2023 में राज्यों द्वारा पारित, किंतु मंजूरी प्राप्त न करने वाले बिल्स की सूची

सूची में 2023 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स शामिल हैं जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है (31 मार्च, 2024 तक)।

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh (Andhra Area) Inams (Abolition and Conversion into Ryotwari) (Amendment) Bill, 2023
2. The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Bill, 2023

असम

1. The Indian Partnership (Assam Amendment) Bill, 2023

छत्तीसगढ़

1. The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Bill, 2023

गोवा

1. The Goa Highways Law (Revival of Operation, Amendment and Validation) Bill, 2023
2. The Societies Registration (Goa Amendment) Bill, 2023

हरियाणा

1. The Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023
2. The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment Bill, 2023

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Democracy Sentinel Honour (Repealing) Bill, 2023
2. The Himachal Pradesh Land Holding Ceiling (Amendment) Bill, 2023
3. The Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Bill, 2023
4. The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Bill, 2023
5. The Indian Stamp (Himachal Pradesh Second Amendment) Bill, 2023

झारखंड

1. The Jain University Bill, 2023
2. The Jharkhand Factories (Amendment) Bill, 2023
3. C. V. Raman Global University Bill, 2023
4. The Arogyam International University Bill, 2023
5. The Jharkhand University of Health Sciences Bill, 2023
6. The Jharkhand Reservation in Posts and Services Vacancies (Amendment) Bill, 2023
7. The Shine National University Bill, 2023

कर्नाटक

1. The Registration (Karnataka Amendment) Bill, 2023
2. The Karavali Development Board Bill, 2023
3. The Karnataka Public Examination (Measures for Prevention of Corruption and Unfair Means in Recruitment) Bill, 2023
4. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike and Certain Other Law (Amendment) Bill, 2023
5. The Hampi World Heritage Area Management Authority (Amendment) Bill, 2023
6. The Karnataka Prohibition of Violence Against Advocates Bill, 2023
7. The Karnataka High Court (Amendment) Bill, 2023
8. The Karnataka Civil Courts (Amendment) Bill, 2023
9. The Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2023

10. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Second Amendment) Bill, 2023

केरल

1. The Kerala Dairy Farmers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2023
2. The Kerala Abkari (Amendment) Bill, 2023
3. The Kerala Building Tax (Amendment) Bill, 2023
4. The Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland (Amendment) Bill, 2023
5. The Kerala Government Land Assignment (Amendment) Bill, 2023
6. The Kerala Co-Operative Societies (Third Amendment) Bill, 2022

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Labour Laws (Amendment) Bill, 2022
2. The Maharashtra Lokayukta Bill, 2022
3. The Registration (Maharashtra Amendment) Bill, 2023
4. The Chit Funds (Maharashtra Amendment) Bill, 2023

मेघालय

1. The Captain Williamson Sangma Technical University (Amendment) Bill, 2023

मिजोरम

1. The Mizoram Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2023

नागालैंड

1. The Nagaland Anatomy Bill, 2023

ओड़िशा

1. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Odisha Amendment) Bill, 2023

पंजाब

1. The Punjab Police (Amendment) Bill, 2023
2. The Punjab Gurdwaras (Amendment) Bill, 2023
3. The Punjab Universities Laws (Amendment) Bill, 2023
4. The Transfer of Property (Punjab Amendment) Bill, 2023
5. The Registration (Punjab Amendment) Bill, 2023

राजस्थान

1. The Rajasthan Prisons Bill, 2023
2. The Rajasthan Control of Organized Crime Bill, 2023
3. The Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023
4. The Rajasthan State Mela Authority Bill, 2023
5. The Rajasthan Co-Operative Societies (Amendment) Bill, 2023
6. The Rajasthan Electricity (Duty) Bill, 2023
7. The Nathdwara Temple (Amendment) Bill, 2023

सिक्किम

1. The Sikkim Aerial Ropeways Bill, 2023
2. The Sikkim Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023

3. The Sikkim Guru Padmasambhava University Bill, 2023
4. The Sikkim Sardar Patel University Bill, 2023
5. The EdTech Skills University, Sikkim Bill, 2023
6. The National Council for Skill Education, Sikkim Bill, 2023

तमिलनाडु

1. The Factories (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2023
2. The Tamil Nadu Fisheries University (Amendment) Bill, 2023
3. The Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (Amendment) Bill, 2023
4. The Tamil Nadu Private Universities (Amendment) Bill, 2023
5. The Tamil Nadu Silkworm Seed (Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2023
6. The Chit Funds (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2023

तेलंगाना

1. The Telangana Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2023
2. The Telangana Institute of Medical Sciences Bill, 2023
3. The Factories (Telangana Amendment) Bill, 2023
4. The Telangana State Minorities Commission (Amendment) Bill, 2023
5. The Telangana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023
6. The Telangana Panchayat Raj (Second Amendment) Bill, 2023
7. The Telangana Municipalities (Second Amendment) Bill, 2023
8. The Telangana Panchayat Raj (Third Amendment) Bill, 2023

पश्चिम बंगाल

1. The West Bengal Town and Country (Planning and Development) (Amendment) Bill, 2023
2. The West Bengal University Laws (Amendment) Bill, 2023

अनुलग्नक 3: 2023 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Andhra Pradesh Rights in Land and Pattadar Pass Books (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (Absorption of Employees into Government Service) (Amendment) Ordinance, 2023
5. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Ordinance, 2023
6. The Andhra Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Ordinance, 2023
7. The Andhra Pradesh Vaidya Vidhana Parishad (Repeal) Ordinance, 2023
8. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2023
9. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Ordinance, 2023
10. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
11. The Andhra Pradesh Public Service Commission (Entrustment of Additional Functions with respect to the Services of Universities) (Amendment) Ordinance, 2023

असम

1. The Assam Mobility of Employees of State Government and Other Establishment (For Optimum Utilization of Available Manpower for Efficiency) Ordinance, 2023
2. The Assam Right to Public Service (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Assam Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Assam Motor Vehicle Taxation (Amendment) Ordinance,2023
5. The Contingency Fund (Augmentation of Corpus) Ordinance, 2023
6. The Assam Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Ordinance, 2023

बिहार

1. The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023

गोवा

1. The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Goa Staff Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Goa Staff Selection Commission (Second Amendment) Ordinance, 2023
5. The Goa Motor Vehicles Tax (Amendment) Ordinance, 2023

हरियाणा

1. The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Himachal Pradesh Water Cess on Hydro Power Generation Ordinance, 2023
3. Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Ordinance, 2023

कर्नाटक

1. The Karnataka Fire Force (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Karnataka Gram Swaraj And Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
5. The Karnataka Compulsory Service of Candidates Completed Medical Courses (Amendment) Ordinance 2023

केरल

1. The Kerala Healthcare Service Persons and Healthcare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment Ordinance, 2023
2. The Kerala Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2023

मध्य प्रदेश

1. The Madhya Pradesh Simplification of Establishment and Operation of Industries Ordinance, 2023
2. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Ordinance, 2023
5. The Maharashtra Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2023
6. The Maharashtra Temporary Extension of Period for Submitting Validity Certificate (for certain elections to Village Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samitis) Ordinance, 2023
7. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
8. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Ordinance, 2023
9. The Maharashtra Apartment Ownership (Amendment) Ordinance, 2023

मेघालय

1. The Meghalaya Regulation of Gaming (Repeal) Ordinance, 2022
2. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Rajitlal University (Repealing) Ordinance, 2023
4. The Meghalaya Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2023
5. The Meghalaya (Sales of Petroleum and Petroleum Products etc.) Taxation (Amendment) Ordinance, 2023
6. The Meghalaya Medical Council (Amendment) Ordinance, 2023
7. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2023

ओड़िशा

1. The Odisha State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Odisha Apartment (Ownership and Management) Ordinance, 2023
3. The Odisha Reservation of Vacancies in Posts and Services (For Scheduled Castes and Scheduled Tribes)(Amendment) Ordinance, 2023

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Molasses Control (Amendment) Ordinance, 2023
2. The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023
4. The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2023
5. The Uttar Pradesh Agricultural Produce Market (Amendment) Ordinance, 2023
6. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023
7. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2023
8. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2023
9. The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2023
10. The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2023
11. The Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment), Ordinance, 2023
12. The Uttar Pradesh Town Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2023
13. The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Ordinance, 2023
14. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023
15. The Uttar Pradesh Molasses Control (Second Amendment) Ordinance, 2023
16. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023
17. The Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023

18. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023
19. The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2023
20. The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Ordinance, 2023
2. The Uttarakhand (United Provinces Rakshak Dal Act, 1948) (Amendment) Ordinance, 2023
3. The Uttarakhand Investment and Infrastructure (Development and Regulation) Ordinance, 2023
4. The Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant (Amendment) Ordinance, 2023
5. The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023

पश्चिम बंगाल

1. The West Bengal University Laws (Amendment) Ordinance, 2023

[1] Writ Petition (Civil) No. 302 of 2023, State of Punjab versus Principal Secretary to the Governor of Punjab and Another, Supreme Court, November 10, 2023.

[2] Writ Petition (Civil) No. 1264/2023, The State of Kerala & Anr. Versus Hon'ble Governor for State of Kerala & Ors., Supreme Court, November 29, 2023.

[3] Writ Petition (Civil) No. 1239/2023, The State of Tamil Nadu Versus The Governor of Tamil Nadu & Anr., Supreme Court, November 20, 2023.

[4] Writ Petition (Civil) No. 333/2023, The State of Telangana Versus Secretary To Her Excellency The Hon'ble Governor For The State Of Telangana & Anr., Supreme Court, April 24, 2023.

[5] The Karnataka Conduct of Government Business in the State Legislature Act, 2005, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2005/2005KR26.pdf.

[6] Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Vidhan Sabha, https://punjabassembly.nic.in/images/docs/RulesofProcedure/10531%20rules%20and%20procedure.pdf.

[7] Rules of Procedure and Conduct of Business of the U.P. Legislative Assembly, 1958 (As corrected up to February, 2022) https://uplegisassembly.gov.in/Niyamavali/pdf/Rules_english/1_niyamavali_1958_english.pdf.

[8] Report by the National Commission to Review the Working of the Constitution, https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/chapter%205.pdf.

[9] Haryana Committees to examine Demands for Grants, https://haryanaassembly.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Committee.pdf.

[10] Article 200, Constitution of India.

[11] Assent withheld in Three Bills, Press Release, Kerala Raj Bhavan, February 29, 2024, https://www.rajbhavan.kerala.gov.in/images/2024/Assent%20withheld%20in%20Three%20Bills.pdf.

[12] Dairy No. 13407/2024, State of Kerala vs. Union of India, Supreme Court.

[13] Article 213, Constitution of India.

[14] Seventh Schedule, The Constitution of India, https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/COI_English.pdf.

[15] The Sibsagar University Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/assam/2023/Sibsagar_University_Bill_2023.pdf.

[16] The Durga Soren University Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2023/Bill2of2023Jharkhand.pdf.

[17] The BMS University Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2023/Bill-5of2023-Karnataka.pdf.

[18] The Laxminarayan Innovation Technological (LIT) University, Nagpur Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/maharashtra/2023/Act41of2023MH.pdf.

[19] The Madhya Pradesh Private University (Establishment and Operation) Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/madhya-pradesh/2023/Bill13of2023MP.pdf.

[20] The Baba Amte Divyang University, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill042023Rajasthan.pdf.

[21] The Mahatma Gandhi Divyang University , Jodhpur, Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill33of2023Rajasthan.pdf.

[22] The Sikkim Global Technical University Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/sikkim/2023/ActNo9of2023Sikkim.pdf.

[23] The Tamil Nadu Private Universities (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill25of2023TamilNadu.pdf.

[24] The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2023/ActNo13of2023UP.pdf.

[25] The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2019/2019UP12.pdf.

[26] Jharkhand University of Health Sciences Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2023/Bill14of2023Jharkhand.pdf.

[27] The Telangana Institute of Medical Sciences Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/telangana/2023/BillNo-6of2023Telangana.pdf.

[28] The Karnataka State Universities Act, 2000, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2001/2001Karnataka29.pdf.

[29] The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/1973/1973UP10.pdf.

[30] The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/2016/2016AP3.pdf.

[31] Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/chhattisgarh/2023/BillNo.11of2023CHG.pdf.

[32] The Goa Private Universities (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/goa/2020/Act4of2020Goa.pdf.

[33] The Gujarat Private Universities (Second Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/gujarat/2009/ActNo8of2009Gujarat.pdf.

[34] The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2019/2019UP12.pdf.

[35] The Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/haryana/2023/Bill-No.-5of2023Haryana.pdf.

[36] The Andhra Pradesh Education (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/1982/1982AP1.pdf.

[37] Rajasthan Right to Health Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2022/Bill%20No.%2021%20of%202022%20Rajasthan.pdf.

[38] The Maharashtra Medical Goods Procurement Authority Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/maharashtra/2023/Act13of2023MH.pdf.

[39] The Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/haryana/2023/Bill-No.-7of2023Haryana.pdf.

[40] The Rajasthan Control of Organized Crime Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill112023Rajasthan.pdf.

[41] The Rajasthan Prisons Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill092023Rajasthan.pdf.

[42] The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/chhattisgarh/2023/ActNo.14of2023CHG.pdf.

[43] The Jharkhand Medicare Service Persons, Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Property Damage) Bill, 2023, https://prsindia.org/bills/states/the-jharkhand-medical-service-personnel-medical-service-institutions-prevention-of-violence-and-property-damage-bill-2023.

[44] The Karnataka Prohibition of Violence against Advocates Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2023/Bill-7of2023-Karnataka.pdf.

[45] The Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill132023Rajasthan.pdf.

[46] The Andhra Pradesh Guaranteed Pension System Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/2023/Act31of2023AP.pdf.

[47] The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2005/Act14of2005HP.pdf.

[48] The Punjab Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/punjab/2023/BillNo-18of2023-Punjab.pdf.

[49] The Tamil Nadu Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/tamil-nadu/2003/2003TamilNadu16.pdf.

[50] The Assam Goods & Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/assam/2017/ActNo.28of2017Assam.pdf.

[51] The Arunachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/arunachal-pradesh/2017/Act7of2017ArunachalPradesh.pdf.

[52] The Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2017/2017Bihar12.pdf.

[53] The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/gujarat/2017/2017Gujarat25.pdf.

[54] The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/haryana/2017/ActNo.19of2017Haryana.pdf.

[55] The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2017/2017HimachalPradesh10.pdf.

[56] The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2017/2017Karnataka27.pdf.

[57] The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/maharashtra/2017/2017Maharashtra43.pdf.

[58] The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/meghalaya/2017/2017Meghalaya10.pdf.

[59] The Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/punjab/2017/2017PB5.pdf.

[60] The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2020/ActNo5of2020-UP.pdf.

[61] The Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2023/Act7of2023HP.pdf.

[62] Cwp No. 2916/2023 vs. State of H.P. and Ors., Himachal Pradesh High Court, March 5, 2024, https://highcourt.hp.gov.in/viewojpdf/view.php?path=2023&nc=2024:HHC:999&fname=200100029162023_16.pdf&smflag=N.

[63] The Karnataka Tax on Profession, Trades, Callings and Employments (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/1976/1976KR35.pdf.

[64] The Madhya Pradesh Profession Tax (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/madhya-pradesh/1995/1995MP16.pdf.

[65] The Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/maharashtra/1975/1975Maharashtra16.pdf.

[66] The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2016/the-rights-of-persons-with-disabilities-act,-2016.pdf.

[67] The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2022/Act%20No.%206%20of%202022%20RJ.pdf.

[68] The Gujarat Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/gujarat/2023/Billno1of2023Gujarat.pdf.

[69] The Jharkhand Competitive Examination (Prevention and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2023/Bill12of2023Jharkhand.pdf.

[70] The Karnataka Public Examination (Measures for Prevention of Corruption and Unfair Means in Recruitment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2023/Bill-21of2023-Karnataka.pdf.

[71] The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill18of2023Rajasthan.pdf.

[72] The Uttarakhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttarakhand/2023/ActNo13of2023UKD.pdf.

[73] The Maharashtra Lokayukta Bill, 2022, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2022/Bill%20No.%2036%20of%202022%20MH.pdf.

[74] The Andhra Pradesh Lokayukta Act, 1983, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/1983/1983AP11.pdf.

[75] The Andhra Pradesh Lokayukta (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill25of2023AP.pdf.

[76] The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2015/2015HP23.pdf.

[77] The Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/himachal-pradesh/2023/BillNo-12of2023HP.pdf.

[78] The Sikkim Lokayukta Act, 2012, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/sikkim/2012/2012Sikkim21.pdf.
[79] The Sikkim Lokayukta (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/sikkim/2014/2014SK6.pdf.
[80] The West Bengal Lokayukta Act, 2003, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/west-bengal/2003/2003WB35.pdf.
[81] The West Bengal Lokayukta (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/west-bengal/2023/BillNo02of2023WB.pdf.
[82] The Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Act, 2016, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/tamil-nadu/2016/2016TN14.pdf.
[83] The Tamil Nadu Government Servants (Conditions of Service) Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill4of2023TamilNadu.pdf.
[84] The Gujarat Agricultural Produce and Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 1963, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/gujarat/1964/1964GJ20.pdf.
[85] The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) Act, 1966, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/1966/1966Karnataka27.pdf.
[86] The Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/punjab/1961/1961PB23.pdf.
[87] The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1987, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/tamil-nadu/1989/1989TamilNadu27.pdf.
[88] The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2023/Bill4of2023Karnataka.pdf.
[89] The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Second Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill31of2023TamilNadu.pdf.
[90] The Gujarat Agricultural Produce and Marketing (Promotion and Facilitation) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/gujarat/2023/Billno26of2023Gujarat.pdf.
[91] The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/1964/1964UP25.pdf.
[92] The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/1964/1964UP25.pdf.
[93] The Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/goa/2023/BillNo18of2023Goa.pdf.
[94] The Tamil Nadu Protected Agricultural Zone Development Act, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/tamil-nadu/2020/Act%2011%20of%202020%20TN.pdf.
[95] The Tamil Nadu Protected Agricultural Zone Development (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill32of2023TamilNadu.pdf.
[96] The Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill32of2023Rajasthan.pdf.
[97] The Kerala Dairy Farmers' Welfare Fund Act, 2007, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/kerala/2007/2007KERALA7.pdf.
[98] The Kerala Dairy Farmers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/kerala/2023/Bill-156of2023-Kerala.pdf.
[99] The Maharashtra Bovine Breeding (Regulation) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2023/Bill50of2023MH.pdf,
[100] The Andhra Pradesh Milk Procurement (Protection of Farmers) and Enforcement of Safety of Milk Standards Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill15of2023AP.pdf.
[101] Article 246, Constitution of India.
[102] Article 252, Constitution of India.
[103] The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024, https://prsindia.org/billtrack/the-water-prevention-and-control-of-pollution-bill-2024.
[104] The Andhra Pradesh (Andhra Area) Inams (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1956, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/1956/1956AP37.pdf.
[105] Inam means land held under a gift or grant made by the Nizam or other competent grantor confirmed by a title deed. Inamdar means a person holding this inam, either for his benefit or in trust, and includes a successor in the interest of an inamdar.
[106] The Andhra Pradesh (Andhra Area) Inams (Abolition and Conversion into Ryotwari) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill5of2023AP.pdf.
[107] The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) Act, 1977, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/1977/1977AndhraPradesh9.pdf.
[108] The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill38of2023AP.pdf.
[109] The Andhra Pradesh Bhoodan and Gramdan Act, 1965, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/andhra-pradesh/1965/1965AndhraPradesh13.pdf.
[110] The Andhra Pradesh Bhoodan and Gramdan (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill39of2023AP.pdf.
[111] The Maharashtra Apartment Ownership (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2023/Bill47of2023MH.pdf.
[112] The Odisha Apartment (Ownership and Management) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/odisha/2023/Act8of2023Odisha.pdf.
[113] Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2016/the-real-estate-(regulation-and-development)-act,-2016.pdf.
[114] The West Bengal Land Reforms Act, 1956, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/west-bengal/1956/West%20Bengal%20Act%20No.%2010%20of%201956.pdf.
[115] The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/west-bengal/2023/BillNo04of2023WB.pdf.

[116] The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill31of2023Rajasthan.pdf.
[117] The Tamil Nadu Land Consolidation (for Special Projects) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill21of2023TamilNadu.pdf.
[118] The Goa (Regulation of Land Development and Building Construction) Act, 2008, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/goa/2008/2008GOA6.pdf.
[119] The Goa (Regulation of Land Development and Building Construction) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/goa/2023/BillNo4of2023Goa.pdf.
[120] The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/1973/1973HP19.pdf.
[121] The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/himachal-pradesh/2023/BillNo-8of2023HP.pdf.
[122] The Assam Fixation of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2022, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/assam/2022/Assam_Fixation_of_Ceiling_on_Land_Holdings_(Amendment)_Bill_2022.pdf.
[123] The Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill30of2023Rajasthan.pdf.
[124] The Assam State Commission for Safai Karamcharis Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/assam/2023/Assam_State_Commission_for_Safai_Karamctiaris_Bill_2023.pdf.
[125] The West Bengal Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/west-bengal/1974/ActNo.38of1974WB.pdf.
[126] The Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill13of2023AP.pdf.
[127] The Jharkhand Advocates' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2023/Bill8of2023Jharkhand.pdf.
[128] The Factories (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill8of2023TamilNadu.pdf.
[129] The Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill26of2023Rajasthan.pdf.
[130] Financial Memorandum, Rajasthan Minimum Guaranteed Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2023/Bill26of2023Rajasthan.pdf.
[131] The Andhra Pradesh State Minorities Commission (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill9of2023AP.pdf.
[132] The Andhra Pradesh Commission for Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State of Andhra Pradesh (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill14of2023AP.pdf.
[133] The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Castes (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill18of2023AP.pdf.
[134] The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill22of2023AP.pdf.
[135] The Andhra Pradesh Women's Commission (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/andhra-pradesh/2023/Bill23of2023AP.pdf.
[136] The Assam Backward Classes Commission (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/assam/2023/Assam_Backward_Classes_Commission_(A)_Bill_2023.pdf .
[137] The Telangana State Minorities Commission (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/telangana/2023/BillNo-8of2023Telangana.pdf.
[138] The Bihar (Admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2023/Act18of2023Bihar.pdf.
[139] The Bihar Reservation Of Vacancies In Posts And Services (For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes) (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2023/Act19of2023Bihar.pdf.
[140] The Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/himachal-pradesh/2023/Billno10of2023HP.pdf.
[141] The Chhattisgarh Regularization of Unauthorized Development (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/chhattisgarh/2002/2002CG21.pdf.
[142] The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/goa/2016/ActNo20of2016Goa.pdf.
[143] The Gujarat Regularisation of Unauthorised Development (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/gujarat/2023/Billno2of2023Gujarat.pdf.
[144] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/NCT_of_Delhi_Laws_(Special_Provisions)_Second_(Amendment)_Bill_2023.pdf.
[145] The Chhattisgarh Leasehold Rights to the Homeless Person of Urban Areas Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/chhattisgarh/2023/ActNo.7of2023CHG.pdf.
[146] The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/haryana/1994/ActNo.16of1994Haryana.pdf.
[147] The Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/haryana/1973/ActNo.24of1973Haryana.pdf.
[148] The Guwahati Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/assam/1987/1987Assam20.pdf.
[149] The Goa (Mopa Airport Development Authority) (Amendment) Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/goa/2018/Act10of2018Goa.pdf.
[150] The Gujarat Devasthan Area Development Authority Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/gujarat/2023/Billno12of2023Gujarat.pdf.

[151] The Sonipat Metropolitan Development Authority Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/haryana/2023/ActNo-28of2023-Haryana.pdf.

[152] The Kota Development Authority Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2023/Act31of2023Rajasthan.pdf.

[153] The Udaipur Development Authority Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2023/Act28of2023Rajasthan.pdf.

[154] The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/bihar/2006/ActNo6of2006Bihar.pdf.

[155] The Nagaland Municipal Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/nagaland/2023/Nagaland_Municipal_Bill_2023.pdf.

[156] The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Salary, Allowance and Pension (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/chhattisgarh/2023/BillNo.4of2023CHG.pdf.

[157] The Goa Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/goa/2023/BillNo43of2023Goa.pdf.

[158] The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/uttar-pradesh/2023/Bill8of2023UP.pdf.

[159] The Tamil Nadu Payment of Salaries (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/tamil-nadu/2023/Bill24of2023TamilNadu.pdf.

[160] The Legislative Assembly of Meghalaya (Member's Pension) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/meghalaya/2023/LB108-114of2023MG.pdf.

[161] The West Bengal Salaries and Allowances Act, 1952, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/west-bengal/1952/West%20Bengal%20Act%20No.%205%20of%201952.pdf.

[162] The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/west-bengal/2023/BillNo18of2023WB.pdf.

[163] The Salaries and Allowances of Chief Whip in Punjab Legislative Assembly Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/punjab/2023/BillNo-8of2023-Punjab.pdf.

[164] The Karnataka Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2023/Bill1of2023Karnataka.pdf.

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़

तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय

212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-110002

टेलीफोन : (011) 2323 4801, 4343 4035

www.prsindia.org